

RAS Prelims 2024

AAKALAN-II

DATE : 19/01/2025

Test Code:01192501

Answer Key

1. (2)	26. (2)	51. (1)	76. (1)	101. (3)	126. (1)
2. (4)	27. (3)	52. (3)	77. (2)	102. (3)	127. (3)
3. (3)	28. (3)	53. (3)	78. (1)	103. (2)	128. (3)
4. (3)	29. (4)	54. (2)	79. (1)	104. (4)	129. (4)
5. (3)	30. (1)	55. (3)	80. (3)	105. (4)	130. (1)
6. (4)	31. (4)	56. (1)	81. (4)	106. (1)	131. (1)
7. (1)	32. (4)	57. (2)	82. (1)	107. (2)	132. (1)
8. (1)	33. (3)	58. (4)	83. (4)	108. (2)	133. (2)
9. (4)	34. (1)	59. (2)	84. (4)	109. (3)	134. (3)
10. (3)	35. (3)	60. (2)	85. (2)	110. (2)	135. (3)
11. (3)	36. (2)	61. (3)	86. (4)	111. (4)	136. (3)
12. (3)	37. (4)	62. (2)	87. (4)	112. (1)	137. (4)
13. (2)	38. (1)	63. (4)	88. (2)	113. (1)	138. (2)
14. (4)	39. (2)	64. (4)	89. (2)	114. (3)	139. (2)
15. (2)	40. (4)	65. (4)	90. (3)	115. (2)	140. (4)
16. (2)	41. (1)	66. (4)	91. (1)	116. (3)	141. (2)
17. (4)	42. (2)	67. (3)	92. (2)	117. (3)	142. (2)
18. (2)	43. (4)	68. (4)	93. (2)	118. (2)	143. (3)
19. (4)	44. (2)	69. (4)	94. (3)	119. (2)	144. (1)
20. (4)	45. (1)	70. (3)	95. (3)	120. (2)	145. (1)
21. (2)	46. (4)	71. (4)	96. (3)	121. (2)	146. (3)
22. (3)	47. (1)	72. (1)	97. (3)	122. (3)	147. (3)
23. (2)	48. (3)	73. (4)	98. (1)	123. (4)	148. (3)
24. (2)	49. (1)	74. (4)	99. (4)	124. (2)	149. (1)
25. (4)	50. (2)	75. (1)	100. (3)	125. (3)	150. (1)

Note: Q.25 and Q.125 Marks to All

DELHI CENTRE:

Vivekananda House: 6-B, Pusa Road, Metro Pillar no. 111, Near Karol Bagh Metro, New Delhi-110060 | Phone: 8081300200

Mukherjee Nagar: 1422, Main Mukherjee Nagar Road, Near Batra Cinema, New Delhi-110009 | Phone: 8081300200

JAIPUR CENTRE: Plot No. 6 & 7, 3rd Floor, Sree Gopal Nagar, Gopalpura Bypass, Jaipur - 302015 | Phone: 9358200511

PRAYAGRAJ CENTRE: IInd Floor 31/31, Sardar Patel Marg, Civil Lines Prayagraj, Uttar Pradesh-211001 | Ph. 9958857757

1. (2)

महाराणा सांगा

महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल, 1482 को हुआ। इनका राज्याभिषेक 24 मई, 1509 को हुआ था। इनका शासनकाल 1509ई.-1528ई. तक रहा। राणा सांगा भारतीय इतिहास में 'हिन्दुपत' नाम से विख्यात है। कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को 'सिपाही का अंश' कहा है। महाराणा संग्रामसिंह मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुम्भा के पौत्र तथा महाराणा रायमल्ल के पुत्र थे।

नोट - 1517ई. को राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य **खातौली का युद्ध** लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा विजय रहा।

नोट - 1518ई. को राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य **बारी का युद्ध** लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा विजय रहा।

नोट - 16 फरवरी, 1527 को सांगा और बाबर के मध्य **बयाना का युद्ध** लड़ा गया जिसमें राणा सांगा ने विजय प्राप्त की।

17 मार्च, 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा एवं मुगल सम्राट जहीरूद्दीन मुहम्मद बाबर की सेना के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया। खानवा का मैदान वर्तमान में भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में है।

खानवा के युद्ध में **राणा की सेना** में अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गांगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जैतसी का पुत्र कुँवर कल्याणमल, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईंडर का राजा भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, रायसीन का सलहदी तंवर (अंतिम समय पर समर्थन वापिस), चंदेरी का मेदिनीराय, नागौर का खाना जादा, सिरोही का अखैराज, वागड़ (डूंगरपुर) का रावल उदयसिंह, सलूमबर का रावत रतनसिंह, वीरमदेव मेड़तिया, देवलिया का रावत बाघसिंह, नरबद हाड़ा, वीरसिंह देव, गोकुल दास परमार, झाला अज्जा आदि सम्मिलित थे।

राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले '**पाती परवन**' की राजपूत परम्परा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। सांगा अंतिम हिन्दू राजा थे, जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियाँ विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुईं।

2. (4)

अवनद्ध वाद्य

जिसके एक ही ओर खाल मढ़ी हुई होती हैं। इसे ताल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है।

प्रमुख उदाहरण - मादल, पखावज, ताशा, दमामा, ढोल, डमक इत्यादि।

तत् वाद्य

जिन वाद्य यंत्रों में तार लगे होते हैं, वे तत् वाद्य की श्रेणी में आते हैं।

प्रमुख उदाहरण - रावणहत्था, जंतर, सारंगी, कामयचा, रबाब, रबाज, चिकारा, गौरजा इत्यादि।

नोट - गौरजा वाद्ययंत्र गणगौर के अवसर पर गरासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है।

सुषिर वाद्य

इस वाद्य में फूंक से बजाये जाने वाले वाद्य यंत्र शामिल किए जाते हैं।

प्रमुख उदाहरण - बांसुरी, अलगोजा, सतारा, मशक, नड, मोरचंग, इत्यादि।

नोट - सतारा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। यह वाद्ययंत्र अलगोजा, बांसुरी, शहनाई की मिश्रित संरचना है।

घन वाद्य

इस प्रकार के वाद्य यंत्रों को चोट या आघात से बजाया जाता है।

प्रमुख उदाहरण - मंजीरा, झांझ, थाली, करताल, खड़ताल, झालर, लेजिम, इत्यादि।

नोट - झांझ वाद्ययंत्र शेखावटी में कच्छी घोड़ी नृत्य के अवसर पर बजाया जाता है। जिसकी आकृति मंजीरे के समान होती है।

3. (3)

राजस्थान में वनों की स्थिति (ISFR 2023)

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन 32,869 वर्ग कि.मी. है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। इसमें आरक्षित वन (Reserved Forests) 12,176 वर्ग कि.मी., संरक्षित वन (Protected Forests) 18,588 वर्ग कि.मी. तथा अवर्गीकृत वन (Unclassified Forests) 2,105 वर्ग कि.मी. है।

इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन एवं वृक्ष आवरण में कुल 394.46 वर्ग कि.मी. की वृद्धि दर्ज की गई। जिसमें वन आवरण में 83.80 वर्ग कि.मी. की कमी व वृक्ष आवरण में 478.26 वर्ग कि.मी. की वृद्धि शामिल है।

राज्य में वनों एवं वृक्ष आच्छादित कुल क्षेत्रफल 27,389.33 वर्ग कि.मी. है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है।

राज्य का वनावरण क्षेत्र 16,548.21 वर्ग कि.मी. है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84% है।

राज्य का वृक्षावरण क्षेत्र 10,841.12 वर्ग कि.मी. है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.16% है।

वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिलें

1. सीकर (19.14 वर्ग किमी)
2. बाड़मेर (19.00 वर्ग किमी)
3. अलवर (16.39 वर्ग किमी)
4. उदयपुर (12.46 वर्ग किमी)

वन क्षेत्रफल में कमी वाले शीर्ष जिलें

1. बारों (33.29 वर्ग किमी)
2. प्रतापगढ़ (30.79 वर्ग किमी)
3. अजमेर (18.34 वर्ग किमी)
4. बीकानेर (14.85 वर्ग किमी)

सर्वाधिक वनावरण वाले जिलें

1. उदयपुर (2766.30 वर्ग किमी)
2. अलवर (1198.74 वर्ग किमी)
3. प्रतापगढ़ (996.86 वर्ग किमी)
4. चित्तौड़गढ़ (988.08 वर्ग किमी)

न्यूनतम वनावरण वाले जिलें

1. चुरू (62.73 वर्ग किमी)
2. हनुमानगढ़ (92.29 वर्ग किमी)
3. जोधपुर (111.23 वर्ग किमी)

4. श्रीगंगानगर (113.46 वर्ग किमी)

सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिलें

1. उदयपुर (23.60%)
2. प्रतापगढ़ (22.48%)
3. सिरोही (17.50%)
4. करौली (15.18%)

न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलें

1. चुरु (0.45%)
2. जोधपुर (0.49%)
3. बीकानेर (0.86%)
4. जैसलमेर (0.89%)

सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले

1. पाली (453 वर्ग किमी)
2. अलवर (321 वर्ग किमी)
3. जयपुर (319 वर्ग किमी)

न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले

1. हनुमानगढ़ (9 वर्ग किमी)
2. श्रीगंगानगर (16 वर्ग किमी)
3. चुरु (36 वर्ग किमी)

4. (3)

दिए गए प्रश्न में युग्म 1,2 और 4 सही सुमेलित है ,जबकि युग्म 3 गलत है क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में **शिशु लिंगानुपात (0 से 6 वर्ष) 888** है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार **राज्य का लिंगानुपात 928** है,जो वर्ष 2001 की जनगणना में लिंगानुपात 921 से अधिक है।

राजस्थान की जनगणना 2001 के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व 165 था ,जो वर्ष 2011 की जनगणना के पश्चात बढ़कर 200 हो गया। अतः राज्य के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.31 प्रतिशत है,जो वर्ष 2001 में 28.41 प्रतिशत से कम है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत है,जो वर्ष 2001 में 60.41 प्रतिशत से अधिक है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कार्यशील जनसंख्या 43.60 प्रतिशत है जो **सर्वाधिक प्रतापगढ़** में है जबकि **न्यूनतम जयपुर** में है।

5. (3)

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना

इस परियोजना का निर्माण कार्य / आधारशिला तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च, 1958 में रखी थी,लेकिन नहर में सर्वप्रथम पानी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने 11 अक्टूबर, 1961 को **नोरंगदेसर** वितरिका (हनुमानगढ़) से छोड़ा।

इस परियोजना का पूर्व / मूल नाम '**राजस्थान नहर**' था। जिसे 2 नवम्बर, 1984 को नाम परिवर्तित करके '**इन्दिरा गाँधी नहर**' कर दिया गया। इस नहर को "राजस्थान की मरुगंगा व राज्य की जीवन रेखा" आदि नामों से जाना जाता है।

इस परियोजना के जनक / योजनाकार '**कँवर सेन**' कहलाते हैं, जिन्होंने 1948 में अपनी पुस्तक "बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता" में इसका प्रारूप रखा। उन्हें इस नहर को बनाने की प्रेरणा "गंग नहर" से मिली।

इसका उद्गम व जलस्रोत सतलज व व्यास नदी के संगम पर **हरि के बेराज बाँध** (पंजाब के फिरोजपुर) से हुआ। यह परियोजना में दो चरणों में पूरी हुई -

इसके प्रथम चरण के तहत "**राजस्थान फीडर**" 204 किमी. (169 किमी. पंजाब ,हरियाणा में, जबकि 35किमी राजस्थान में) हरि के बेराज से मसीतावाली हेड (हनुमानगढ़) तक है।

दूसरे चरण के तहत 256 किमी. का निर्माण करना था, जिसे बाद में 445 किमी. कर दिया। यह चरण मसीता वाली हेड (हनुमानगढ़) से मोहनगढ़ (जैसलमेर) तक था जिसे 165 किमी. और बढ़ाकर अंतिम स्थान गडरा रोड (बाड़मेर) कर दिया जिसे जीरो पॉइन्ट कहा जाता है।

नोट - यह राजस्थान में 480 किमी. व बाहर 169 किमी. फैली हुई है, इस प्रकार इसकी कुल लम्बाई 649 किमी. है।

इस नहर से 7 लिफ्ट नहर निकाली गई ,जो निम्नलिखित हैं -

क्र.सं. लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले

1. चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर (नोहर-साहबा लिफ्ट नहर) - हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनूँ
2. कँवरसेन लिफ्ट नहर(बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर) - बीकानेर एवं गंगानगर। यह योजना की सातों लिफ्ट नहरों में सबसे लम्बी (151.64 किमी) लिफ्ट नहर है।
3. पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर (गजनेर लिफ्ट नहर) - बीकानेर, नागौर। इस से निकलने वाली कानासर वितरिका से नागौर जिले व बीकानेर के कोलायत व नोखा के कुछ गाँवों को पानी दिया जाता है।
4. वीर तेजाजी लिफ्ट नहर (भैरुदान छालानी बांगड़सर लिफ्ट नहर) - बीकानेर
5. डॉ. करणीसिंह लिफ्ट नहर (कोलायत लिफ्ट नहर) - जोधपुर व बीकानेर
6. गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर (फलौदी लिफ्ट नहर) - जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर
7. जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर (पोकरण लिफ्ट नहर) - जैसलमेर, जोधपुर

6. (4)

राज्य की प्रमुख फसलें

(1) **खरीफ (स्यालु या सियालु या चौमासा या सावणु) -**

ये फसलें जून- जुलाई में बोई जाती हैं व सितम्बर-अक्टूबर में काटी जाती हैं।

मुख्य खरीफ फसलें : चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूँग, चवला, मोठ, मूँगफली, अरण्डी, तिल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, ग्वार आदि।

खरीफ की फसलें राज्य के लगभग 140 से 160 लाख हैक्टेयर क्षेत्र (कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 60-65 प्रतिशत) में बोई जाती हैं। राज्य में लगभग 90 प्रतिशत खरीफ की फसलें

बारानी क्षेत्र में पैदा की जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती हैं।। खाद्यान्नों में बाजरे का कृषित क्षेत्रफल सर्वाधिक है।

(2) **रबी (उन्हालु) -**

रबी की फसलें अक्टूबर-नवम्बर में बोकर मार्च- अप्रैल में काट ली जाती हैं। राज्य में लगभग 70 से 95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 60-65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। रबी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र गेहूँ का है। रबी दहलनी फसलें भी मुख्यतः बारानी क्षेत्रों में बोई जाती है।

मुख्य रबी फसलें : गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी आदि।

7. (1)

लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां

लूनी नदी के बाये किनारे पर मिलने वाली मुख्य नदियां(उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमानुसार है)- लीलड़ी, मीठड़ी, जवाई, सुकड़ी, बाण्डी, खारी, बाण्डी द्वितीय, सागी है।

लूनी नदी के दाएं किनारे पर मिलने वाली मुख्य नदी जोजरी है।

चंबल नदी की सहायक नदियां -

छोटी कालीसिंध, कालीसिंध, आहू, परवन, निवाज , पार्वती, अंधेरी, कुनू, सीप, गुजाली, बामणी, ईज, कुराल, मेज, माँगली, घोड़ा पहाड़, पिपलाज।

Note - कालीसिंध नदी की सहायक नदियां परवन, निवाज, आहू, उजाड़ हैं।

माही नदी की सहायक नदियां-

भादर, सोम, जाखम, मोरन, अनास, चाप, इरू, पणम, कुन, गोमा।

बनास नदी की सहायक नदियां-

इसकी सहायक नदियां बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी, डाई, मोरेल, धुंध, ढील, मेनाली, सोहदरा, कालीसिल है।

नोट- मेज चंबल की सहायक नदी है लेकिन सागी लूणी की सहायक नदी है।

साबरमती नदी की सहायक नदियां -

इसकी सहायक नदियां वाकल, सेई, मेशवा, माजम, वेतरक और हाथमती है।

8. (1)

1. राज्य कृषि विभाग का वर्गीकरण-

राज्य कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बाँटा गया है-

मिट्टी के प्रकार

1. साईं रोजेम्स
2. रेवेरिना
3. जिप्सीफेरस
4. पर्वतीय मिट्टी
5. लाल चिकनी मिट्टी
6. केलसी ब्राउन डेजर्ट मृदा
7. नॉन केलसी ब्राउन मृदा
8. नवीन श्री मिट्टी
9. ग्रे ब्राउन मिट्टी/ धूसर भूरी जलोद मृदा (नूनी केसीन)
10. पीली भूरी मिट्टी (बनास बेसीन)
11. " मरुस्थलीय मृदा
12. मरुस्थलीय बालुका स्तूप मृदा
13. जलोढ मिट्टी
14. काली मिट्टी (मध्यम गहरी काली मिट्टी)

मिट्टी का विस्तार क्षेत्र वाले जिले-

1. श्री गंगानगरश्री
2. श्री गंगानगर
3. बीकानेर
4. उदयपुर, कोटा
5. बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ (माही बेसीन)

6. जैसलमेर. बीकानेर
7. नागौर अजमेर, सीकर झुंझुनू जयपुर. अलवर
8. अजमेर, भीलवाड़ा
9. पाली, जोधपुर, नागौर, जालौर, सिरोही
10. राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर, रोक, स: माधोपुर
11. जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर. जोधपुर + शेखावाटी
12. जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर. जोधपुर
13. अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, स. माधोपुर. टोक
14. हाड़ौती कोटा, बूँदी, बारां. झालावाड,

9. (4)

सार्वजनिक उपक्रम (Public Enterprises)

सार्वजनिक उपक्रम से तात्पर्य ऐसे संस्थानों, कम्पनियों, बोर्डों या निगमों से है जिनकी प्रदत्त पूँजी का 50% से अधिक सरकार (केन्द्रीय या राज्य या संयुक्त रूप से) के पास हो। राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सितम्बर, 1984 में स्थापित) के अधीन वर्तमान में 34 सार्वजनिक उपक्रम इकाइयाँ हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति तीव्र करना, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना, विनियोगों को प्रोत्साहित करना तथा लघु सहायक उद्योगों के विकास में मदद करना है। राजस्थान में स्थित सार्वजनिक उपक्रम दो श्रेणियों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं- (A) केन्द्रीय सरकार के उपक्रम (B) राजस्थान सरकार के उपक्रम

केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

1. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (उदयपुर)

राज्य के जस्ते के खनन एवं परिशोधन हेतु कार्यरत इस उपक्रम की स्थापना 10 जनवरी, 1966 को हुई थी। राज्य में इसके जिंक स्मेल्टर देबारी (उदयपुर) एवं चन्देरिया (चित्तौड़गढ़) में है। इसका प्रबन्ध अब वेदान्त रिसोर्सेज को

दे दिया गया है।

2. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (खेतड़ी)

इसकी स्थापना 9 नवम्बर, 1967 का संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई। यह राज्य के खेतड़ी व आसपास के तांबा भण्डारों से तांबे के अयस्क के खनन एवं परिशोधन का कार्य करता है। राज्य के अलावा इसके संयंत्र झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्यप्रदेश में भी है।

3. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (HMT)

1953 में स्थापित इस फैक्ट्री में इंजीनियरिंग, मशीनरी एवं ग्राइण्डिंग मशीनों का निर्माण होता है। उस समय HMT को 'Jewel of Nation' कहा गया था। HMT की समस्त देश में कुल 13 इकाईयाँ (6 मशीन टूल्स, 3 वॉच असेम्बली तथा 4 डेयरी मशीनरी) हैं 1 HMT की अजमेर इकाई को 1970 में प्रारंभ किया गया था।

4. सांभर साल्ट्स लिमिटेड (जयपुर)

सांभर झील में नमक उत्पादन हेतु हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. की सहायक इकाई के रूप में 1964 में स्थापित।

5. इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड (कोटा)

राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें, विद्युत उत्पन्न करने रासायनिक यंत्रों का निर्माण करने हेतु इस उपक्रम की स्थापना 1964 में की गई थी।

6. डर्न बेकरीज(जयपुर)

मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि. की ब्रेड इकाई, जो 1965 में स्थापित हुई थी।

7. राजस्थान इग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्सलिमिटेड (जयपुर)

केन्द्र सरकार की कम्पनी इण्डियन इग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. की सहायक कम्पनी के रूप में रीको के साथ 1978 में जयपुर में स्थापित की गई, जो बंद पड़ी है।

10. (3)

दिए गए प्रश्न में युग्म 1, 2 और 4 सही सुमेलित हैं, जबकि युग्म 3 गलत है। सीकर जिले का वन्य जीव शुभंकर साहिन है, जबकि धौलपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर पंछीरा है।

जिला वन्य पशु-पक्षी घोषित

राज्य की वन्यजीव प्रजातियों को बचाने व वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए उस जिले में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वन्य जीव को वर्ष 2016 में उस जिले के लिए शुभंकर घोषित किया गया। वह जिला उन वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य करेगा।

जिले से संबंधित वन्य जीव (शुभंकर) निम्नलिखित हैं -

जिला	-	वन्यजीव
1. अजमेर		खरमोर
2. झुंझुनूँ		काला तीतर
3. अलवर		सांभर
4. जालौर		भालू
5. बाँसवाड़ा		जल पीपी
6. झालावाड़		गागरोनी तोता
7. बारां		मगर
8. जोधपुर		कुरजां
9. बाड़मेर		मरू लोमड़ी
10. करौली		घड़ियाल
11. भरतपुर		सारस
12. कोटा		उदबिलाव
13. भीलवाड़ा		मोर
14. नागौर		राजहंस
15. बीकानेर		भट्ट तीतर
16. पाली		तैदुआ
17. बूंदी		सुर्खाब
18. राजसमंद		भेड़िया
19. चित्तौड़गढ़		चौसिंगा
20. प्रतापगढ़		उड़न गिलहरी

21.	चूरू	काला हिरण
22.	सवाईमाधोपुर	बाघ
23.	दौसा	खरगोश
24.	श्रीगंगानगर	चिंकारा
25.	धौलपुर	पंछीरा
26.	सीकर	शाहीन(इंडियन स्क्रीमर)
27.	सिरोही	जंगली मुर्गी
28.	झूंगरपुर	जंगली धोक
29.	टोंक	हंस
30.	हनुमानगढ़	छोटा किलकिल
31.	उदयपुर	बिज्जू
32.	जैसलमेर	गोड़ावण
33.	जयपुर	चीतल

11. (3)

(A) राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार -

23°3 उतरी अक्षांश से 30°12 उतरी अक्षांश तक है।

Note - राजस्थान 7°9 अक्षांशो के मध्य स्थित है।

राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कोणा गांव (गंगानगर) है, जो 30°12' उतरी अक्षांश पर है।

राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव (बाँसवाडा) है ,जो 23°3 उतरी अक्षांश पर है।

Note - राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 826KM है।

(B) राजस्थान का देशान्तरीय विस्तार -

पूरा राजस्थान पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान का पश्चिमी भाग कटरा

(जैसलमेर) 69°30' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। जबकि राजस्थान का पूर्वी भाग सिलाना

(धौलपुर) 78°17' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। राजस्थान 8°47' पूर्वी देशान्तर के मध्य

स्थित है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम के मध्य की लम्बाई 869 km है।

Note- राजस्थान का उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई की तुलना में पश्चिम से पूर्व की ओर अधिक है।

12. (3)

अरावली पर्वतीय प्रदेश

उत्पत्ति - 4.8 अरब वर्ष पूर्व आद्य महाकल्प या एजोइक एरा या प्री पेलियोजोइक एरा के प्री-कैम्ब्रियन काल में हुआ था।

Note -आद्य महाकल्प पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद का "पहला" कालखण्ड था।

आद्य महाकल्प के प्री-कैम्ब्रियन काल के गौडवानालैंड में वलन की क्रिया से वलित पर्वतमाला (अरावली) का निर्माण हुआ। यह भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का उच्चावच है।

भारत में अरावली पर्वतमाला का विस्तार निम्न है -

पालनपुर (गुजरात) से दिल्ली तक विस्तृत इस पर्वतमाला की कुल लंबाई 692KM है।

Note- अरावली को दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं, जबकि हरियाणा में इसे डोसी पर्वत कहते हैं।

इसका विस्तार 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली) में है।

1. गुजरात
2. राजस्थान
3. हरियाणा

राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सिरोही से झुंझुनू तक 550km में विस्तृत है। राज्य में अरावली पर्वतीय क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। जो धात्विक और अधात्विक खनिज की प्रधानता का कारण है। राज्य में हाड़ौती के पठार में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है।

अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं।

13. (2)

दिए गए प्रश्न में कथन 1,3 और 4 सही हैं अतः सही उत्तर विकल्प 2 होगा। राज्य की **सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरुशिखर** है, जिसकी कुल लंबाई 1722 मीटर है। ये पर्वत चोटी सिरौही जिले में स्थित है। सिरौही जिला दक्षिण अरावली का भाग है।

Note - मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गौरमजी है ,जो अजमेर जिले में स्थित है।

कांठल का मैदान माही बेसिन का भाग है,जबकि माही बेसिन राज्य के पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। जो माही नदी के तटवर्ती भाग पर स्थित है। इसका विस्तार **केवल प्रतापगढ़** जिले में है।

राज्य में मरुस्थल के तीन प्रकार **हम्मादा, रैग और इर्ग** हैं।

हम्मादा एक चट्टानी या पथरीला मरुस्थल है ,इसका विस्तार पोकरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य है। इस पथरीले भाग पर सौर ऊर्जा की असीम संभावना के कारण यहां सीज (SEEZ - Solar Enterprises Economic Zone) की स्थापना की जा रही है। रैग ,हम्मादा के चारों ओर के क्षेत्र को कहते हैं, ये भी एक चट्टानी या पथरीला मरुस्थल है। जबकि सम्पूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र को इर्ग कहते हैं।

14. (4)

प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉ. ब्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति के आधार पर विश्व को अनेक जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। उनके वर्गीकरण के आधार पर राज्य को निम्न जलवायु प्रदेशों में बाँटा जा सकता है।

1. Aw (या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र) जलवायु प्रदेश -

क्षेत्र : बाँसवाड़ा जिला एवं डुंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ जिले।

वार्षिक वर्षा एवं तापमान वार्षिक औसत वर्षा 80 सेमी (800 मिमी.) या अधिक। ग्रीम ऋतु में औसत तापमान 30°-34° सेन्टीग्रेड एवं शीतऋतु में 12° से 15° सेण्टीग्रेड तक मिलती है।

वनस्पति : घनी प्राकृतिक वनस्पति। मानसूनी पतझड़वन एवं सवाना तुल्य घास के मैदानों के समान।

2. Bshw (या अर्द्ध शुष्क या स्टेपी) जलवायु प्रदेश -

क्षेत्र : बाडमेर जालौर, जोधपुर, नागौर, चुरू, सीकर, झुंझुनूं आदि जिले (अरावली के पश्चिमी क्षेत्र) में मिलती है।

वर्षा व तापमान : वार्षिक वर्षा 20-40 सेमी. (200-400 मिमी.) ग्रीष्म ऋतु में 32° से 35° से. एवं शीत ऋतु में 5°-10° सेन्टीग्रेड। काँटेदार झाड़ियाँ एवं बास व मुख्यतः स्टेपी घास के मैदानों के प्रकार की वनस्पति है।


3. Bwhw (या उष्णकटिबंधीय शुष्क) जलवायु प्रदेश -

क्षेत्र : उत्तरी पश्चिमी जोधपुर जिला, पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, गंगानगर जिले का दक्षिणी-पश्चिमी भाग एवं चुरू जिले का कुछ भाग) यह विशाल शुष्क परुस्थलीय भाग है।

4. Cwg (या उप आर्द्र) जलवायु प्रदेश अर्थात् मानसूनी जलवायु प्रदेश -

क्षेत्र : अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग जैसे जयपुर जिले का कुछ भाग, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूँदी, हाड़ौती, डांग एवं मेवात क्षेत्र आदि जिले।

वर्षा व तापमान : इस जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा औसत 60-80 सेमी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 32°-38° सेण्टीग्रेड तथा शीत ऋतु में 14°-16° सेण्टीग्रेड रहता है। इस क्षेत्र में चम्बल के बीहड़ पाये जाते हैं।



कोपेन का जलवायु वर्गीकरण

15. (2)

अभक

उपयोग - सौन्दर्य प्रसाधन तथा रबर के टायर बनाने में।

उत्पादन

1. भीलवाड़ा - दांता, भूणास
2. शाहपुरा - फुलिया
3. उदयपुर - चंपागुढा

ऐस्बेस्टॉस

उपयोग - सीमेन्ट के चद्दर तथा सीमेन्ट उद्योग मे

* यह प्राकृतिक रेशा वाला खनिज है।

उत्पादन

1. अजमेर - नेराला, अर्जुनपुरा
2. ब्यावर - सेन्द्रा, मानपुरा
3. राजसमंद - तीखी गुढा

जिप्सम

1. नागौर - गोठ मांगलोद, भड़ान, भादवासी, जोधयासि, धकोरिया ।
2. श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरु क्षेत्र -

इस क्षेत्र मे जामसर (बीकानेर) राज्य की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है।

रॉकफॉस्फेट

उपयोग फास्फेट उर्वरक निर्माण मे।

उत्पादन

1. उदयपुर - झामरकोटड़ा
2. जैसलमेर - फतेहगढ़
3. जयपुर ग्रामीण - अचरोल
4. अलवर आडुका - अंडावारी

मैंगनीज

ये वागड़ क्षेत्र के खनिजों के अतर्गत आता है। यह मुख्यतः : बाँसवाड़ा के लीलवानी, कालाखूँटा और तलवाड़ा क्षेत्र में मिलता है।

Note - राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वॉलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य हैं।

16. (2)

नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा राज्य में 150 मीटर की ऊंचाई पर किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 284 मेगावाट है।

राज्य में **सर्वाधिक पवन ऊर्जा की संभावना जैसलमेर जिले में है।**

राज्य का **पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमरसागर**, जैसलमेर में स्थापित किया गया था। जबकि दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र देवगढ़, प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया था।

राज्य के प्रमुख पवन ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित हैं -

पोहरा, आकल, हंसुआ, बड़ा बाग, सोढ़ा बांधन पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर जिले में स्थित हैं।

बिठड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र फ़लौदी में स्थित है।

हर्ष विंड एनर्जी पवन ऊर्जा संयंत्र सीकर जिले में स्थित है।

Note - राज्य का सबसे बड़ा विंड एनर्जी पार्क बड़ा बाग, जैसलमेर है।

राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति वर्ष 2012 में बनाई गई थी। जबकि नवीनतम पवन ऊर्जा नीति 2019 में पारित की गई थी।

17. (4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं-

1. विभिन्न भर्ती परिक्षाओं व साक्षात्कारों का आयोजन करवाना।
2. राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह प्रदान करना जैसे-
 - (I) भर्ती की पद्धति
 - (II) राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन संबंधित मामले
 - (III) राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले
 - (IV) पदोन्नति में अनुभव में छुट
 - (V) किसी सेवा का अन्य सेवा में विलय

(VI) राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित नीति निर्माण में सलाह जैसे- स्थानांतरण नीति (Transfer Policy), प्रशिक्षण नीति (Training Policy), पदोन्नति नीति (Promotion Policy)

Note- वे मामले जिन पर राज्य सरकार आयोग से सलाह नहीं लेती है।

नयी लोक सेवा (Public Service) का सृजन करना।

पदों का वर्गीकरण (Classification of Posts)

प्रोबेशन अवधि या परिवीक्षा काल (Probation Period) का निर्धारण करने में

प्रशिक्षण अवधि (Training Period) का निर्धारण करने में

प्रथम नियुक्ति के पश्चात वेतन का निर्धारण करने में

पदोन्नति के पश्चात वेतन का निर्धारण करने में

राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण करने में

राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति करने में

18. (2)

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 22 के तहत आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। इस समिति के सदस्य राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृहमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता होते हैं।

यदि किसी राज्य में द्विसदनात्मक विधानमण्डल होता है अर्थात् विधानसभा के साथ-साथ विधानपरिषद भी होती है वहाँ चयन समिति में उपर्युक्त सदस्यों के अलावा विधानपरिषद का सभापति और विधानपरिषद का विपक्ष का नेता शामिल होता है।

आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई पद रिक्त है। राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्ति वैद्य होगी।

19. (4)

वेंकटचलैया आयोग –

इस आयोग का गठन संविधान की समीक्षा के लिए 12 फरवरी, 2000 को एम. एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में किया गया था।

राज्यपाल की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हो।

पूछी आयोग -

इस आयोग का गठन 27 अप्रैल, 2007 को किया गया इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च, 2010 को प्रस्तुत की। इस आयोग के अध्यक्ष मदनमोहन पूछी थे। जबकि इस आयोग के अन्य सदस्य एन.आर. माधवमेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, विजयशंकर थे।

नोट:- 2008 में अमरेश बागची का निधन होने के कारण विजय शंकर को पूछी आयोग का सदस्य बनाया गया।

पूछी आयोग की प्रमुख सिफारिशें-

1. राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, इनकी पदच्युति केन्द्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2. राज्य की विधानसभा से पारित विधेयक पर राज्यपाल को 4 माह के अन्दर निर्णय लेना चाहिए।
3. राज्य सरकार की इच्छा के बगैर राज्यपाल को किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए।
4. राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं बनाना।
5. राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाये। (राज्य विधानमण्डल द्वारा)

20. (4)

अनुच्छेद 124(4) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, जो अनुच्छेद 218 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के दो आधार 'सिद्ध कदाचार' और 'अक्षमता' हैं।

प्रस्ताव की शुरुआत:

महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिये।

अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

Note - वर्ष 2018 में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा खारिज कर दिया गया था।

जाँच समिति का गठन:

प्रस्ताव स्वीकार होने पर, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति एक तीन सदस्यीय समिति गठित करते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
2. किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और
3. एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता

समिति आरोपों की गहन जाँच करती है, साक्ष्य एकत्र करती है और आरोपों की वैधता निर्धारित करने के लिये गवाहों की जाँच करती है।

समिति अपने निष्कर्ष सदन के पीठासीन अधिकारी को सौंपती है, जहाँ प्रस्ताव पेश किया गया था। यदि न्यायाधीश कथित कदाचार या अक्षमता का दोषी पाया जाता है, तो रिपोर्ट पर संसद में बहस होती है।

इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से प्रस्ताव को मंजूरी देनी होगी (सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।

नोट - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है।

21. (2)

लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार

राजस्थान राज्य में लोकायुक्त के जाँच दायरे में निम्नलिखित आते हैं -

1. राज्य के समस्त मंत्री
2. लोकसेवक, सचिव, विभागाध्यक्ष
3. जिला प्रमुख, उपजिलाप्रमुख
4. प्रधान, उपप्रधान
5. जिला परिषदों व पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष
6. नगर निगम के महापौर, उपमहापौर
7. नगर पालिका, नगर परिषद, नगर विकास न्यायासों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
8. राजकीय कम्पनियों, स्थायी प्राधिकरण, राज्य निगम, मण्डल के अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी

का पुराना हो, तो उसका जाच नहीं की जाएग

राजस्थान में निम्नलिखित लोकायुक्त के जांच दायरे में नहीं आते हैं -

1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. राज्य का महालेखाकार
4. उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश अधिकारी व कर्मचारी
5. राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव अधिकारी, प्रदोशिक आयुक्त
6. राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
7. सेवानिवृत्त लोकसेवक
8. पंच, सरपंच व विधायक
9. विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारी व कर्मचारी

22. (3)

राजस्थान विधान सभा-प्रक्रिया नियम का अध्याय 16 में मंत्री-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव/मंत्री परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव और पदत्याग करने वाले मंत्री का वक्तव्य का उल्लेख मिलता है।

मंत्री-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

- (1) मंत्री परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव निम्नलिखित निबन्धनों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा अर्थात्:-
 - (क) प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले मांगनी होगी:
 - (ख) अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पहले प्रमुख सचिव के पास उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी।
- (2) यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वह सदन में प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा और उन सदस्यों से, जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों में खड़े होने के लिये प्रार्थना करेगा और यदि तदनुसार सदस्यों की समग्र संख्या के कम से कम पांचवें भाग के सदस्य खड़े हो जाएं तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है और प्रस्ताव किसी ऐसे दिन लिया जायेगा जो अनुमति मांगने के दिन से पूरे दस दिन से अधिक बाद का न हो। यदि समग्र संख्या के पांचवें भाग से कम संख्या में खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सदन की अनुमति नहीं है।
- (3) यदि उप-नियम (2) के अन्तर्गत अनुमति दे दी जाये तो अध्यक्ष, सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद, प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा।
- (4) अध्यक्ष, यथास्थिति, नियत दिन या नियत दिनों में से अन्तिम दिन निश्चित समय पर, प्रस्ताव पर सदन का विनिश्चय निर्धारित करने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।

23. (2)

"जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है, जो प्रजातियों में, प्रजातियों के बीच और उनकी जटिल पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को भी सम्मिलित करती है।"

जैव विविधता जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी. रोज़ेन द्वारा किया गया।

जैव विविधता जनक ई. ओ. विल्सन को माना जाता है।

जैव विविधता पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2024 तक कोलम्बिया के कैली शहर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम 'पीस विद नेचर' है।

नोट:- अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2024 को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम : योजना का हिस्सा बनें है।

24. (2)

भारतीय संविधान के भाग - 4 (नीति निदेशक तत्व) के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मूलतः संविधान में किया गया था। इसके तहत राजस्थान में वर्ष 1949 को पंचायती राज विभाग का गठन किया गया। राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम, 1953 में बनाया गया जो

1 जनवरी 1954 को पूरे राज्य में लागू हुआ।

नोट - बीकानेर राज्य की पहली देशी रियासत थी जहां पर ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया था।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना द्विस्तरीय होगी या त्रिस्तरीय इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है।

राज्य में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है।

25. (4)

भैरोसिंह शेखावत

ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे।

ये राज्य के तीन बार (1977 से 80, 1990 से 1992 , 1993 से 1998) मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

नोट - इनको सर्वप्रथम मुख्यमंत्री पद की शपथ तत्कालिन राज्यपाल रघुकुल तिलक द्वारा दिलाई गई थी। इनके मुख्यमंत्री पद की शपथ के समय मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। प्रथम मध्यावधि चुनाव इनके कार्यकाल के समय वर्ष 1980 में हुए थे।

ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, जो देश के 11वें उपराष्ट्रपति (वर्ष 2002 से 2007) रह चुके हैं।

ये राजस्थान विधानसभा में तीन बार विपक्ष के नेता रह चुके हैं।

भैरोसिंह शेखावत किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं।

नोट - राजस्थान के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़ियां बिहार व हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं।

सर्वप्रथम इनके द्वारा ही विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव वर्ष 1990 में लाया गया था।

ये राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर 14.12.1998 से 03.01.1998 तक रह चुके हैं।

छठी विधानसभा (वर्ष 1977- 1980) के समय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष महारावल लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह थे। इस विधानसभा के समय राज्य के मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत थे।

26. (2)

राजा मान सिंह का जन्म 21 दिसंबर, 1550 को राजस्थान के आमेर में हुआ था। ये राजा भगवानदास के पुत्र थे। ये 1589 से 1614 तक आमेर के 24वें महाराजा थे। उन्होंने अकबर के दरबार में 52 साल तक सेवा प्रदान की। ये मिर्जा राजा मानसिंह अकबर के नौ रत्नों में से एक थे।

आमेर के महाराजा मानसिंह को अकबर ने ' फर्जद ' तथा ' राजा ' की उपाधि प्रदान की।

आमेर के महाराजा ने मानसिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हापा बारहठ (प्रमुख), रायमुरारी दास, पुण्डरीक, सुन्दरदास, जगन्नाथ आदि थे। इनके समय जगन्नाथ ने 'मानसिंह कीर्ति मुक्तावली' की

तथा, रायमुरारी दास ने 'मानचरित्र' की रचना की थी तथा पुण्डरीक विठ्ठल ने रागचन्द्रोदय, रागमंजरी, नर्तन निर्णय आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की।

27. (3)

भाद्रपद माह के त्योहार -

1. कजली तीज/बड़ी तीज/सातुड़ी तीज - भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है।
2. कृष्ण जन्माष्टमी - भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है।
3. हरतालिका तीज - भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है।
4. जलझूलनी/देवझूलनी/डोलग्यारस एकादशी - भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है।

आषाढ माह के त्योहार -

1. देवशयनी एकादशी - आषाढ शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है, इस दिन से अगले चार महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य सम्पन्न नहीं होते हैं।
2. गुरु पूर्णिमा - आषाढ की पूर्णिमा को मनाते हैं।

आश्विन माह के त्योहार -

1. शरद पूर्णिमा (आश्विन पूर्णिमा) - इसे 'कोजागरी पूर्णिमा' या 'रास पूर्णिमा' भी कहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चन्द्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसी दिन श्रीकृष्ण ने महारास रचाय था। मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भा चांदनी में रखने का विधान है।
2. दशहरा - आश्विन शुक्ला दशमी को मनाया जाता है।
Note - राजस्थान में कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है।

चैत्र मास के त्योहार -

1. घुड़ला त्योहार - चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीय तक जोधपुर में मनाया जाता है।

- इस त्योहार की शुरुआत वर्ष 1578 से मानी जाती है, जब बाइमेर की शाही सेना ने जोधपुर रियासत के पीपाड़ गाँव के पास गणगौर पूजा कर रही कुछ महिलाओं का अपहरण घुड़ले खां के नेतृत्व में किया गया था। इस बात का पता चलने पर राव जोधा के पुत्र सातल ने अपहरण की हुई महिलाओं को घुड़ले खां से छुड़वाया और घुड़ले खां का सिर काटकर जोधपुर लाया गया। अतः इस दिन को तब से मारवाड़ में विजयी उत्सव के रूप में मनाते हैं।

माघ माह के त्यौहार -

1. तिल चौथ (माघ कृष्णा चतुर्थी) : इसे संकट चौथ, वक्रतुण्डी चतुर्थी तथा तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इस दिन श्री गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है।
2. षट्तिला एकादशी (माघ कृष्णा एकादशी) : इस दिन 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है। जिसके कारण इसका नामकरण षट्तिला एकादशी है।

28. (3)

गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य -

ये जनजाति द्वारा भोरिया, मांदल, रायण, कूद, वालर, गंवारा नृत्य किया जाता है।

भील जनजाति के प्रमुख नृत्य -

1. गंवरी/राई नृत्य - मेवाड़ में - पुरुषों द्वारा
2. गैर नृत्य - मेवाड़ में - पुरुषों द्वारा
3. युद्ध नृत्य - मेवाड़ में - पुरुषों द्वारा
4. हाथीमना - - पुरुषों द्वारा
5. घूमरा नृत्य - - स्त्रियों द्वारा

कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य -

कालबेलिया, इण्डोणी, पणिहारी, बागड़िया, शंकरिया है।

1. बागड़िया नृत्य - यह नृत्य कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख माँगते समय करती है।
- इस नृत्य में चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है।

गुर्जर जाति जाति के प्रमुख नृत्य -

1. चरी नृत्य - यह नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है।

यह मुख्यतः किशनगढ़ (अजमेर) का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।

मीणा जनजाति के प्रमुख नृत्य -

रसिया और नेजा है।

सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य -

स्वांग, शिकारी, लहंगी, झेला, बेडीनी नृत्य है।

नोट - झेला नृत्य छोड़ सभी नृत्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, जबकि झेला एक युगल नृत्य है।

कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य -

चकरी (स्त्री द्वारा) व धाकड़ (पुरुषों) द्वारा किया जाता है।

29. (4)

स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण -

1. **नाक में पहने जाने वाले आभूषण :**

भोगली, नथ, बारी, कांटा, चूनी, लोंग, बुलाका, लटकन, चोप, बलनी आदि।

2. **कंठ के आभूषण :**

थमण्यो, थेड्यो, तेड्यो, आड़, मूँठया, झालरा, हालरा, खाँटला, टुस्सी/ठुस्सी, चम्पाकली मादलिया, कंठी।

3. **सिर पर पहने जाने वाले आभूषण :**

शीशफूल, मेमन्द, बोर, रखड़ी और टिकड़ा।

4. **मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषण :**

मोली, फूल, बोरला (बोट), टीका, फीणी, झेला, मांग, सांकली, खेच (मोतियों से बना सांकली के स्थान पर प्रयुक्त) सूर मांग, तावित, बिन्दिया व दामनी।

5. **दाँत के आभूषण :**

रखन (दाँतों में चाँदी व सोने की प्लेट), चोंपचूप (सामने के दो दाँतों में सोने, चाँदी या रंगीन पदार्थ को सुराख कर भरना)।

6. कान में पहने जाने वाले आभूषण :

कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झूमका, अंगोट्या, झेला, लटकन, बाली, टॉप, पती, सुरलियाँ, मोरफवर, झाले, बारेठ, एरेन, ओगनियाँ, कुंडला, लूंग, पूजी, टोटी, भचूरिया, पाटीसुलिया, जमेला आदि।

30. (1)**नाथद्वारा चित्र शैली**

मेवाड़ स्कूल की नाथद्वारा चित्र शैली प्रसिद्ध है-

इस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निम्नलिखित हैं-

नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, घासीराम, तुलसीदास उदयराम, देवकृष्ण, भगवान आदि चित्रकार प्रसिद्ध हैं। की इस चित्र शैली 2 महिला चित्रकार कमला एवं इलायची प्रसिद्ध हैं।

किशनगढ़ चित्र शैली

किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिन्सन तथा फैयाज अली को जाता है।

Note - इस चित्र शैली पर भारत सरकार द्वारा 1973 में डाक टिकिट जारी किया गया।

Note - सांवतसिंह के काल को किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णयुग कहते हैं।

Note - इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार नानकराम, सीताराम, बदनसिंह, मोरध्वज और निहालचंद इत्यादि थे।

Note - इस चित्रशैली का प्रमुख चित्र बणी-ठणी था।

जोधपुर (मारवाड़) शैली

इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार भाटी अमरदास, दानाभाटी, जीतमल, बिशनदास, भाटी शिवदास, समा, सेफू, नाथो, वीरजी, रतनजी भाटी, छज्जू, फेजअली, उदयराम, कालूराम, मतिराम, किशनदास, देवदास, 'बभूत, नारायण दास, रामसिंह भाटी, लादूनाथ, सरताज सतिदास, शंकरदास, माधोदास इत्यादि हैं।

बीकानेर शैली

इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हमीद रुकनुद्दीन, मुसव्विर रुकनुद्दीन, उस्ता आसीर खाँ, साहिबदीन, मुन्नालाल, मुकुन्द, कायम, कासिम, अहमद अली, अबु हमीद, अली रजा, मुराद, नाथू,

रामलाल, चन्द्रूलाल, जयकिशन, रामकिशन, शाह मोहम्मद, जीवन, शिवराम जोशी, मेघराज इत्यादि हैं।

31. (4)

चित्तौड़गढ़ दुर्ग - कालिका माता का मंदिर

- (चित्तौड़गढ़) - समिधेश्वर मंदिर
- सतबीस देवरी जैन मंदिर
- शृंगार चंवरी (जैन मंदिर)
- मीराबाई का मंदिर
- तुलजा भवानी का मंदिर

नोट - सातबीस/सतबीस देवरी - 11वीं शताब्दी में निर्मित राजस्थान का प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं इस मंदिर में 27 देवरियाँ स्थित होने के कारण सतबीस देवरी कहलाता है।

रणथम्भौर दुर्ग (सवाईमाधोपुर) - त्रिनेत्र गणेश मंदिर।

मेहरानगढ़ दुर्ग (जोधपुर) - चामुण्डा माता मंदिर।

सिवाना दुर्ग (बाडमेर) - हल्देश्वर महादेव का मंदिर

-नोट - हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण हल्देश्वर महादेव मंदिर कहते हैं।

आमेर दुर्ग (जयपुर) - शिलादेवी का मंदिर -

-नोट - शिलामाता की मुर्ति को महाराजा मानसिंह 16 वीं शताब्दी में जैस्सोर (बंगाल) शासक केदार को परास्त करके लाये थे। इस मंदिर का निर्माण सवाई मानसिंह ने 1906 ई. में करवाया था।

मंदिर स्थापत्य की **भूमिज शैली नागर स्थापत्य की उपशैली** है। इस शैली के प्रमुख मंदिर राज्य में निम्नलिखित हैं-

1. राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर सेवाडी का जैन मंदिर (पाली) है। इस शैली के अन्य प्रमुख मंदिर निम्नलिखित हैं-
2. मैनाल का महानालेश्वर मंदिर
3. चित्तौड़ का अद्भूत नाथ मंदिर
4. रामगढ़ (बांरा) का भण्डदेवरा मंदिर
5. बिजौलिया (भीलवाडा) का उदेश्वर मंदिर

32. (4)

राजस्थान के प्रमुख सम्प्रदाय , संस्थापक और उनकी प्रमुख पीठ -

1. **दादू सम्प्रदाय**

केन्द्र/पीठ - नारायणा, जयपुर

प्रवर्तक - दादू जी (राजस्थान का कबीर कहते हैं)

दादू पंथियों की 6 प्रमुख शाखाएं खालसा, नागा, विरक्त, स्थानधारी, निहंग, खाकी हैं।

Note - दादूजी द्वारा परिचय का अंग और कायाबेलि ग्रंथ की रचना की गई थी।

2. **रामानुज सम्प्रदाय**

केन्द्र/पीठ - गलताजी, जयपुर

प्रवर्तक - रामानुजाचार्य

3. **रामानन्दी सम्प्रदाय**

केन्द्र/पीठ - a. रैवासा ग्राम - सीकर - अग्रदास जी

b. गलताजी - जयपुर - स्वामी कृष्णदास पयहारी द्वारा 1503 ई. में की गई थी।

4. **परनामी सम्प्रदाय**

केन्द्र/पीठ - आदर्श नगर, जयपुर

प्रवर्तक - महामति प्राणनाथ

5. **जसनाथी सम्प्रदाय**

जसनाथी सम्प्रदाय की प्रमुख गद्दी कतरियासर (बीकानेर) में है, इसकी स्थापना जसनाथ जी ने की थी। इनके शिष्यों ने आगे चलकर उपपीठें स्थापित की जो निम्नलिखित हैं-

1. हारोजी ने बमलू में
2. हांसोजी ने लिखमादेसर में
3. पालोजी ने पूनरासर में
4. टोडरजी ने मालासर में
5. बोयतजी ने पाँचला सिद्धा में

6. विश्नोई सम्प्रदाय

केन्द्र/पीठ - मुकाम-तालवा, बीकानेर

प्रवर्तक - जांभोजी

जांभोजी द्वारा जम्भवाणी, जम्भसागर, शब्दवाणी, विश्नोई धर्म प्रकाश इत्यादि ग्रंथों की रचना की गई थी।

7. गौड़ीय सम्प्रदाय

a. गोविन्द देवजी मन्दिर - जयपुर - गोरंग महाप्रभु चैतन्य थे।

b. मदनमोहन जी मन्दिर - करौली

8. दासी सम्प्रदाय

केन्द्र/पीठ - मेड़ता, नागौर

प्रवर्तक - मीरां बाई ।

मीराबाई द्वारा 'नरसी मेहता' की हुंडी, रुकमणि मंगल, सत्यभामा रो रुसणो की रचना की गई थी।

9. निरंजनी सम्प्रदाय

केन्द्र/पीठ - डीडवाना व गाड़ा, नागौर

प्रवर्तक - हरिदास जी

10. लालदासी सम्प्रदाय

केन्द्र/पीठ -

a. धौलीधूब - अलवर

b. नगला - भरतपुर

प्रवर्तक - लालदासजी

11. निष्कलंक सम्प्रदाय

केन्द्र/पीठ - साबला, डूंगरपुर

प्रवर्तक - संत मावजी

12. निम्बार्क सम्प्रदाय

केन्द्र /पीठ - सलेमाबाद (अजमेर)

प्रवर्तक - निंबार्काचार्य

13. वल्लभ सम्प्रदाय

इस संप्रदाय के प्रवर्तक - वल्लभाचार्य

इस संप्रदाय की राज्य में 5 पीठे हैं।

1. मथुरेश जी - कोटा
2. श्री नाथजी - नाथद्वारा
3. द्वारकाधीशजी - कांकरोली
4. मदन मोहनजी - कामवन
5. गोकुल चंद्र जी - कामवन

14. रामस्नेही सम्प्रदाय

रामस्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 प्रमुख पीठ है -

1. शाहपुरा (भीलवाड़ा) - संस्थापक - संत रामचरण जी
2. रेण (नागौर) - संस्थापक - संत दरियाव जी
3. खेड़ापा (जोधपुर) - संस्थापक - संत रामदासजी
4. सिंहथल (बीकानेर) - संस्थापक - संत हरिरामदास जी

15. चरणदासी सम्प्रदाय

केन्द्र /पीठ - दिल्ली

प्रवर्तक - चरण दास जी

16. तेरापंथ सम्प्रदाय

केन्द्र/पीठ - सिरयारी, पाली

प्रवर्तक - भीखण जी

33. (3)

1. रांगेय राघव के प्रमुख उपन्यास घरौंदे, मुर्दा का टीला , कब तक पुकारू, आज की आवाज है।

2. यादवेंद्र शर्मा के प्रमुख उपन्यास हूँ गोरी किन पीव री, जोग संजोग , चंदा सेठानी, मिट्टी का कलंक, एक और मुख्यमंत्री इत्यादि हैं।
3. शिवराज छंगाणी का प्रमुख उपन्यास ओलखाण है।
4. मणि मधुकर के प्रमुख उपन्यास पगफेरो, सुधि सपनो के तीर हैं।
5. मेघराज मुकुल के प्रमुख उपन्यास **सैनाणी** , उमंग और किरत्या हैं।

34. (1)

1. बिजौलिया शिलालेख , भीलवाड़ा

ये शिलालेख 1170 ई का है, इसके प्रशस्तिकार गुणभद्र हैं। इस अभिलेख में सांभर (शाकम्भरी) एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसके अनुसार चौहानों के आदिपुरुष वासुदेव चहमान ने 551 ई. में शाकम्भरी में चहमान (चौहान) राज्य की स्थापना की तथा सांभर झील का निर्माण करवाया था।

वासुदेव चौहान ने अहिच्छत्रपुर (नागौर) को अपनी राजधानी बनाया। इस शिलालेख में सांभर तथा अजमेर के चौहानों को ' **वत्सगोत्रीय ब्राह्मण** ' बताया गया है।

इस शिलालेख में अनेक प्राचीन स्थलों के नामों का उल्लेख मिलता है -

जैसे - जाबालिपुर (जालौर), शाकम्भरी (सांभर), नड्डुल (नाडोल), दिल्लिका (दिल्ली), श्रीमाल (भीनमाल), नागहद (नागदा), उत्तमाद्री (ऊपरमाल), मांडलकर (मांडलगढ़), विंध्यवल्ली (बिजौलिया), अहिच्छत्रपुर (नागौर) आदि। इस शिलालेख से यह भी जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्लिका (दिल्ली) को अपने अधीन किया था।

2. कुंभलगढ़ शिलालेख

यह शिलालेख 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में हम्मीर को ' **विषम घाटी पंचानन** ' कहा गया।

3. चिरवा शिलालेख उदयपुर में मिला है , इस शिलालेख में **बप्पा रावल** के वंशजों का वर्णन मिलता है।

4. आमेर के शिलालेख में कच्छवाह शासको को ' **रघुवंश तिलक** ' कहकर संबोधित किया गया है।

35. (3)

दिए गए प्रश्न में इकताई , ओझण , बढ़ार और मुगधणा वैवाहिक रीति रिवाज हैं। जबकि ओख और सांतरवाड़ा शोक रस्म है। अतः सही उत्तर विकल्प 3 होगा।

ओख - एक शोक रस्म है ,इसमें त्योहार के अवसर पर किसी की मृत्यु होने पर पीढ़ी दर पीढ़ी उस त्यौहार को नहीं मनाया जाता है।

सांतरवाड़ा - अंतिम संस्कार होने के उपरांत अन्तेष्टि में गए व्यक्ति स्नान आदि कर मृत व्यक्ति के घर जाता है, मृतक के घर आने वाले व्यक्ति परिवार को धैर्म बंधाकर सान्त्वना देते हैं ये सभी रस्में सांतरवाड़ा कहलाती हैं।

इकताई - वर की अंगरखी, कुर्ता व पायजामा बनाने के लिए दर्जी मुहूर्त से नाप लेता है। इन कपड़ों को वर द्वारा निकासी के दिन पहने जाते हैं।

ओझण - बेटे को विवाह के फेरो के समय दिया जाने वाला दहेज।

बढ़ार - विवाह के अवसर पर दुल्हन वालों की तरफ से विवाह के दूसरे दिन दिए जाने वाला सामूहिक प्रीतिभोज है।

मुगधणा - विवाह में भोजन पकाने में काम ली जाने वाली लकड़ी को कहते हैं।

36. (2)

तमाशा नाट्य शैली

तमाशा जयपुर की परम्परागत लोक नाट्य शैली है जो जयपुरी खयाल व ध्रुपद धमार गायिकी का सम्मिलित रूप है। यह महाराष्ट्र की लोक नाट्य शैली तमाशा से प्रभावित है। इस शैली का प्रादुर्भाव तब हुआ जब आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम (1594 ई.) के समक्ष मोहन कवि विरचित नाट्य 'धमाका मंजरी' का आमेर में प्रदर्शन किया गया था।

आमेर महाराजा प्रतापसिंह ने तमाशा के प्रमुख कलाकार 'बंशीधर भट्ट' को (जो महाराष्ट्र के थे) प्रश्रय देकर इस लोक नाट्य विधा को प्रोत्साहित किया। इस परिवार में उस्ताद परम्परा का शुभारंभ 'फूलजी भट्ट' द्वारा किया गया। होली के दिन 'जोगी जोगन' का तमाशा, होली के दूसरे दिन 'हीर

रांझा, चैत्र की अमावस्या 'गोपीचन्द्र' को प्रस्तुति व शीलाष्टमी के दिन 'जुठन मियां' का तमाशा खेला जाता है।

गोपीजी भट्ट, फूलजी भट्ट, मनुजी भट्ट तथा वासुदेव भट्ट 'तमाशा' के प्रमुख कलाकार हैं। बंशीधर भट्ट द्वारा रचित तमाशों में पठान, कान-गुजरी, रसीली-तम्बोलन, हीर रांझा, जोगी जोगन, और छुट्टन मियां आदि प्रमुख हैं।

गंधर्व नाट्य

मारवाड़ के निवासी गंधर्व पेशेवर नृत्यकार होते हैं। यह संगीत नाट्य जैन धर्म पर आधारित होता है।

सवारी नाट्य

सवारी अथवा जुलूस के रूप में नाट्य प्रदर्शन राजस्थान की एक प्राचीन परंपरा है। यह प्रदर्शन धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है

37. (4)

राजस्थान का एकीकरण कुल चरण 7 में हुआ था, इसके एकीकरण में कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे

एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे

1. प्रथम चरण का नाम - मत्स्य संघ

इस चरण का विलय 18 मार्च, 1948 को किया गया था।

इस प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत व नीमराना ठिकाना शामिल हुआ था।

उद्घाटनकर्ता – एन.वी. गाँडगिल

राजधानी - अलवर

राजप्रमुख - उदयभानसिंह (धौलपुर)

प्रधानमंत्री - शोभाराम कुमावत (अलावा)

2. द्वितीय चरण का नाम - राजस्थान संघ

इस चरण का विलय 25 मार्च, 1948 को किया गया।

इस चरण में बाँसवाड़ा, बूँदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ तथा शाहपुरा रियासतें व कुशलगढ़ ठिकाना शामिल हुआ था

उद्घाटनकर्ता – एन.वी. गाँडगिल

राजधानी - कोटा

राजप्रमुख - महाराव भीमसिंह (कोटा)

प्रधानमंत्री - गोकुल लाल असावा

3. तृतीय चरण का नाम - संयुक्त राजस्थान

इसका एकीकरण 18 अप्रैल, 1948 को किया गया था

इस चरण में राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत मिली।

उद्घाटनकर्ता – जवाहर लाल नेहरू

राजधानी - उदयपुर

राजप्रमुख - भूपाल सिंह (उदयपुर)

प्रधानमंत्री - माणिक्यलाल वर्मा (उदयपुर)

4. चतुर्थ चरण का नामकरण - वृहत् राजस्थान

इसका एकीकरण 30 मार्च, 1949 (राजस्थान दिवस) को किया गया था

इस चरण में संयुक्त राजस्थान में जयपुर जोधपुर, बीकानेर जैसलमेर रियासतें और (टोंक) ठिकाना मिलाया गया था। यह दिन प्रतिवर्ष 'राजस्थान दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

उद्घाटनकर्ता - सरदार वल्लभभाई पटेल

राजधानी – जयपुर

महाराज प्रमुख - भूपाल सिंह (उदयपुर)

राजप्रमुख - मानसिंह द्वितीय (जयपुर)

प्रधानमंत्री - हीरालाल शास्त्री (जयपुर)

5. पंचम चरण का नाम - संयुक्त वृहत्तर राजस्थान

इसका एकीकरण 15 मई, 1949 को किया गया

बृहत् राजस्थान व मत्स्य संघ का विलय हुआ।

राजधानी - जयपुर

राजप्रमुख - मानसिंह (जयपुर)

प्रधानमंत्री - हीरालाल शास्त्री (जयपुर)

6. षष्ठम चरण का नाम - राजस्थान (संघ)

इस चरण में एकीकरण जनवरी 1950 को हुआ

संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में सिरोही (आबू व देलवाडा तहसील को छोड़कर) रियासत का विलय किया गया।

7. सप्तम चरण ,राजस्थान का वर्तमान स्वरूप था

जो 1 नवम्बर, 1956 से है।

इस चरण में राजस्थान संघ के साथ अजमेर - मेरवाडा,आबू व देलवाडा तहसील व मध्य प्रदेश का सुनेला टमापा राज्य शामिल किया गया था।

38. (1)

बिजौलिया किसान आंदोलन -

भारत का यह प्रथम व्यापक एवं सबसे लम्बा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन जो लगातार 44 वर्षों (1897 से 1941 ई.) तक चला। साधु सीताराम दास एवं विजयसिंह पथिक के बाद (1927 ई.) इनके शिष्य माणिक्यलाल एवं रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चला। इस आंदोलन का पटाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी. विजय राघवाचार्य के बनने पर हुआ। बिजौलिया आंदोलन को 'तीन चरणों में विभाजित' किया जाता है -

1. प्रथम चरण (स्वस्फूर्त किसान आन्दोलन) 1897 से 1915 तक के कालखंड के प्रमुख नेता साधु सीताराम दास, फतेहकरण, ब्रह्मदेव दाधीच, नाथूलाल कामदार, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, प्रेमचंद भील व रामजीलाल सुनार थे।
2. द्वितीय चरण (किसानों की नयी चेतना का काल) 1916 से 1922 तक के काल के प्रमुख नेता नारायण पटेल, विजय सिंह पथिक थे।

3. तृतीय चरण 1923 से 1941 तक के कालखंड के प्रमुख नेता माणिक्य लाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज थे।

नोट- बिजोलिया में तीव्र जनमत विरोध के परिणामस्वरूप गठित किए गए बिन्दुलाल भट्टाचार्य आयोग (अप्रैल, 1919 ई.) के सदस्य मांडलगढ़ हाकिम बिन्दुलाल भट्टाचार्य, दीवान अफजल अली हाकिम तथा अमर सिंह राणावत थे। जबकि 1920 ई. में महाराणा द्वारा एक अन्य जाँच आयोग (द्वितीय आयोग) की नियुक्ति की गई जिसके सदस्य मेहता तख्तसिंह, पंडित रमाकांत मालवीय और राव बेदला थे।

39. (2)

झालावाड़ प्रजामण्डल -

इसका गठन मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में 1946 को किया गया था ,इस प्रजामण्डल से संबंधित अन्य व्यक्ति कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम थे।

जयपुर प्रजामण्डल -

कर्पूरचन्द पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामण्डल गठित हुआ, लेकिन मृतप्राय रहा। इस प्रजामण्डल का पुनः गठन वर्ष 1936 में चिरंजीलाल मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया । 1938 ई. में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने। 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामण्डल था

बीकानेर प्रजामण्डल -

इस प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1936 में मघाराम वैद्य द्वारा की गई थी ,जबकि इस प्रजामंडल की पुनः स्थापना 1937 में कलकत्ता में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष मघाराम तथा लक्ष्मीदास स्वामी प्रथम संस्थापक मंत्री बनें।

जैसलमेर प्रजामण्डल-

इस प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा की गई थी ।

धौलपुर प्रजामण्डल -

इस प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1936 ई. में कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिजासु द्वारा की गई थी।

बाँसवाड़ा प्रजामण्डल -

इस प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1943 ई. में भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी व हरिदेव जोशी द्वारा की गई थी

करौली प्रजामण्डल -

राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष मुंशी त्रिलोक चन्द माथुर की अध्यक्षता में इस प्रजामण्डल की स्थापना अप्रैल 1938 में की गई थी

मेवाड़ प्रजामण्डल -

माणिक्य लाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित 24 अप्रैल, 1938 को स्थापित किया गया था इसके अध्यक्ष-बलवंत सिंह मेहता व उपाध्यक्ष भूरूलाल बया को बनाया गया। महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने।

इस प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्षता में नवम्बर, 1941 को उदयपुर में हुआ जिसमें आचार्य जे. श्री. कृपलानी व श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित ने भाग लिया।

40. (4)

कोटा में 1857 की क्रांति के समय विद्रोह -

यहाँ 15 अक्टूबर, 1857 ई. को मेहराब खाँ (रिसालदार) व जयदयाल (वकील) के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन व सर्जन सेल्डर की हत्या कर दी गई तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्टस ने मार्च, 1858 ई. में किया।

नोट - मेजर बर्टन कोटा का पोलिटिकल एजेंट था।

नोट - क्रांति के समय कोटा के महाराजा रामसिंह द्वितीय थे।

41. (1)

राज्य में प्रति व्यक्ति आय -

प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है।

आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर (2011-12) मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में ₹90831 है।

Note - स्थिर (2011-12) मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में आर्थिक समीक्षा 2023-2024 के अनुसार 6.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में ₹167964 है।

Note - प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में आर्थिक समीक्षा 2023-2024 के अनुसार 11.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

ऊर्जा क्षमता -

आर्थिक समीक्षा 2022-23 में राज्य की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा 23508.96 मेगावाट थी जो मार्च 2024 में बढ़कर 24783.64 मेगावाट हो गई।

खाद्यान्न उत्पादन-

प्रारम्भिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 245.01 लाख मेट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि गत वर्ष के 252.80 लाख मेट्रिक टन की तुलना में 3.08% कम है।

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) -

स्थिर कीमत पर

2022-2023 = 782287 लाख करोड़

2023-2024 = 845115 (8.45 लाख करोड़)

प्रचलित कीमत पर

2022- 2023	= 1357851
2023 - 2024	= 1528385 (15.28 लाख करोड़)

42. (2)

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA-LAD)

योजना का उद्देश्य- स्थानीय आवश्यकता के अनुसार संरचना का विकास जन उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना।

इस योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र- यह योजना राज्य के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।

आवंटित राशि- इसके तहत प्रत्येक विधायक को एक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹5 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया गया है।

प्रत्येक विधायक को MLA-LAD के तहत मिली राशि में से 20% धन राशि को अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए खर्च करने की अनिवार्यता है।

विधायक सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत तक की सिफारिश कर सकते हैं।

43. (4)

प्रचालित जोत धारक

राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 68.88 लाख थी, अतः भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में भूमि के आकार के आधार पर सर्वाधिक सीमांत जोतों का प्रतिशत 40.12% है।

कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है, यह वर्ष 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था, जो 11.07% की कमी दर्शाता है।

राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 5.46 लाख थी अर्थात् महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.94% की वृद्धि देखी गई।

44. (2)

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना -

18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 11 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित की गई। इस योजना के तहत, ₹15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आवेदक को वाहन की ऑन-रोड कीमत का 10 प्रतिशत अथवा ₹60,000 (जो भी कम हो) का अनुदान राज्य सरकार द्वारा तथा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा दिया जाएगा।
नोट - इस योजना में ₹20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

45. (1)

राज्य में सर्वाधिक आबादी वाला शहर जयपुर है, जबकि न्यूनतम आबादी वाला शहर बांसवाड़ा है।

सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले -

1. कोटा (60.31%)
2. जयपुर (52.40%)
3. अजमेर (40.08%)
4. जोधपुर (34.30%)
5. बीकानेर (33.86%)

न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले -

1. डूंगरपुर (6.39%)
2. बाड़मेर (6.98%)
3. बाँसवाड़ा (7.10%)
4. प्रतापगढ़ (8.27%)

5. जालौर (8.30%)

46. (4)

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना

इस परियोजना का वित्त पोषण जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जायका) द्वारा किया जा रहा है।

परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 2,294.30 करोड़ एवं **समयावधि 11 वर्ष** है।

कुल लागत में से जायका ₹1,882.70 करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाएगी और ₹ 411.60 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

जायका इस परियोजना को दो चरणों में वित्त पोषित करेगा। प्रथम चरण का ऋण समझौता ₹ 827.20 करोड़ है द्वितीय चरण का ₹ 1,055.50 करोड़ का है।

उद्देश्य : परियोजना का उद्देश्य मौजूदा सिंचाई सुविधाओं और कृषि साक्षरता सेवाओं में सुधार के माध्यम से जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके किसानों की आजीविका में सुधार करना है।

परियोजना के तहत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है। परियोजना के क्रियान्वयन से 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के किसान लाभान्वित होने की संभावना है।

राज्य में संचालित अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं -

परियोजना का नाम वित्त पोषित संस्थान परियोजना अवधि

1. राजस्थान शहरी विकास कार्यक्रम चरण तृतीय-
एशियन विकास बैंक (ए. डी. बी.)
नवम्बर 2015 से मार्च 2023
2. राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना- चतुर्थ चरण (ट्राँच -I)
एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.)
जनवरी 2020 से नवम्बर 2028

3. राजस्थान मध्य नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना चतुर्थ चरण (ट्रॉच II) -
एशियन विकास बैंक (ए.डी. बी.)
अप्रैल 2023 से मई 2028
4. राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम- 1 (ट्रॉच - II)
एशियन विकास बैंक (ए.डी. बी.)
दिसम्बर 2019 से सितंबर 2024
5. राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 (ट्रॉच - III)
एशियन विकास बैंक (ए.डी. बी.)
दिसम्बर 2022 से सितम्बर 2026
6. राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम - 11
विश्व बैंक
अक्टूबर 2019 से सितम्बर 2024
7. बांध पुर्नवास और सुधार परियोजना -11 -
विश्व बैंक
अक्टूबर 2021 से मार्च 2027
8. राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढीकरण की परियोजना -
विश्व बैंक
जुलाई 2018 से मार्च 2025
9. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (ट्रॉच - 1) -
जापान अन्तर्राष्ट्रीय को-ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.)
अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2024
10. राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना -
चरण द्वितीय
जापान अन्तर्राष्ट्रीय को- ऑपरेशन
एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.)
जुलाई 2021 से दिसम्बर 2027

11. रेगिस्तान क्षेत्र के लिये जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना ट्रांच-1 व 11 -
न्यू डवलपमेन्ट बैंक (एन.डी.बी.)
मई 2018 से फरवरी 2025
12. राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम और हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना-11 -
के. एफ. डबल्यू. (जर्मन एजेन्सी)
नवम्बर 2022 से अक्टूबर 2026
13. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना -
एजेन्सी फ्रेन्चाइज डी डवलपमेन्ट
(ए.एफ.डी.)
अप्रैल 2023 से मार्च 2028

47. (1)

राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वित्तीय, बीमा, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएँ तथा सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ सम्मिलित हैं।

नोट - सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पाद करता है और उपलब्ध कराता है। वर्तमान में अधिकांश विकसित देशों में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है।

इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूरसंचार जैसी उच्च दक्षता वाली गतिविधियों के साथ-साथ प्लंबिंग जैसी सरल गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

राजस्थान की सेवा क्षेत्र का योगदान

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान 43.95 प्रतिशत है।

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान 45.07 प्रतिशत है।

राज्य के सेवा क्षेत्र का उप क्षेत्रवार विवरण 2023- 2024

क्रम	उपक्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर योगदान
1.	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	28.01% - सर्वाधिक योगदान

2. परिवहन, भंडारण एवं संचार - 10.92%
3. वित्तीय सेवाएँ - 9.89%
4. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृह एवं पेशेवर सेवाएँ - 23.59%
5. लोक प्रशासन - 6.93% - **न्यूनतम योगदान**
6. अन्य सेवाएँ - 20.66%

48. (3)

स्टैंड-अप इंडिया योजना

इस योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल, 2016 को किया गया था।

स्टैंड-अप इंडिया योजना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।

यह उद्यम विनिर्माण, सेवा, कृषि-संबद्ध गतिविधियों या व्यापार क्षेत्र में हो सकता है। गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं -



Note- इस योजना के तहत राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2023 - 2024 के दौरान 2407 लाभार्थियों को कुल 560.73 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए।

49. (1)

मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना

29 नवंबर, 2022 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना' एवं 'मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना' का शुभारंभ किया था। बजट घोषणा 2023-24 अनुसार राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सैट दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी ₹200 प्रदान कर रही है।

50. (2)

राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 में अनुमानित ₹32,310 करोड़ के स्थान पर राजस्व घाटा राशि ₹31,491 करोड़ रहा।

नोट : जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है।

राजस्व घाटा ज्ञात करने का सूत्र = कुल राजस्व व्यय - कुल राजस्व प्राप्तियाँ

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों में अनुमानित ₹61,264 करोड़ के स्थान पर वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹51,029 करोड़ रहा, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.76 प्रतिशत है।

नोट - FRBM अधिनियम, 2005 के द्वारा अनुमत सीमा 4.37 प्रतिशत (विद्युत क्षेत्र के लिए 0.50% एवं 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के लिए 0.37% अतिरिक्त सहित) से कम है।

नोट : राजकोषीय घाटे को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों) को छोड़कर कुल अदायगी (ऋण भुगतान को छोड़कर) की अधिकता के रूप में वर्णित किया गया है। सरल शब्दों में यह सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी को दर्शाता है।

राजकोषीय घाटा ज्ञात करने का सूत्र = सरकार का कुल व्यय (पूँजी और राजस्व व्यय) सरकार र की कुल आय (राजस्व प्राप्ति ऋणों की वसूली + अन्य प्राप्तियाँ)

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) -

स्थिर कीमत पर

2022- 2023 = 782287 लाख करोड़

2023- 2024 = 845115 (8.45 लाख करोड़)

प्रचलित कीमत पर

2022- 2023 = 1357851

2023 - 2024 = 1528385 (15.28 लाख करोड़)

51. (1)

'राजस्थान खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट -2023'

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति का पता लगाने के लिए ' आयोजना विभाग द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम ' (WFP) के सहयोग से तैयार की गई 'राजस्थान खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट -2023' सितम्बर, 2023 में जारी की गई है।

इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा विश्व स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा को मापने के लिए स्वीकृत परिभाषाओं के आधार पर खाद्य सुरक्षा के निम्न चार स्तम्भों पर राज्य का विस्तृत विवरणात्मक विश्लेषण किया गया है -

1. खाद्यान उपलब्धता (Food Availability)
2. भोजन तक पहुँच (Food Accessibility)
3. खाद्य उपयोगिता (Food Utilisation)
4. खाद्य स्थिरता (Food Stability)

यह राज्य को 'सुपोषित राजस्थान' बनाने हेतु डेटा-आधारित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस रिपोर्ट में जिलों को खाद्य एवं पोषण में उनकी स्थिति के आधार पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सूचकांक तैयार कर रैंक प्रदान की गई है।

एफ.एन.एस. सूचकांक में, हनुमानगढ़ जिला 58.55 के समग्र स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रहा और जैसलमेर जिला 22.50 के समग्र स्कोर के साथ सबसे निचले स्थान पर रहा।

Note- वर्ष 2020 का WFP को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया

52. (3)

पंच-गौरव कार्यक्रम –

यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा अपने प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक जिलास्तर पर संचालित किया गया ।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल पर विशेष रूप से फोकस करते हुए पंच-गौरव कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा।

इसके तहत प्रत्येक जिले के लिए इन श्रेणियों में चिह्नित इन पाँच तत्वों को जिले के पंच-गौरव के रूप में जाना जाएगा।

नोडल विभाग : राज्य स्तर पर एक जिला-एक उपज के लिए कृषि विभाग, एक जिला-एक प्रजाति के लिए वन विभाग, एक जिला-एक उत्पाद के लिए उद्योग विभाग, एक जिला-एक पर्यटन स्थल के लिए पर्यटन विभाग तथा एक जिला-एक खेल के लिए खेल विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगे।

53. (3)

राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 26वें गवर्नर नियुक्त किया गया है और उन्होंने निवर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। संजय मल्होत्रा राजस्थान के बीकानेर जिले के निवासी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई। RBI के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। प्रारम्भ में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। यद्यपि प्रारंभ में आरबीआई निजी स्वामित्व वाला था, लेकिन 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।

54. (2)

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 विजेताओं की सूची-

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 विजेताओं की सूची प्रकाशित की गई है जिसमें तीन सदस्यों की जूरी द्वारा अनुशंसित विभिन्न श्रेणियों में 21 लेखकों के नाम शामिल हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के विजेता हैं-

वर्ग	भाषा	विजेता	कार्य का शीर्षक
1. कविता	हिंदी	गगन गिल	में जब तक आयी बाहर
2. उपन्यास	अंग्रेजी	ईस्टरिन किर्रे	स्पिरिट नाइट्स
3. कविता	राजस्थानी	मुकुट मणिराज	गाँव अर अम्मा

Note - मुकुट मणिराज राजस्थान के कोटा जिले से संबंधित है।

4. कविता	संस्कृत	दीपक कुमार शर्मा	भास्करचरितम्
----------	---------	------------------	--------------

Note - वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉ. गजेसिंह राजपुरोहित को उनकी कृति पलकती प्रीत के लिए दिया गया था।

55. (3)

राज्य बजट घोषणा 2024 -25 में 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी।

हाल ही में राज्य-स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन 13 दिसम्बर, 2025 को कायड़, अजमेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस सम्मेलन में 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' का प्रारंभ किया गया।

इस योजना के तहत राज्य के 21,00,000 लाख पशुओं का बीमा किया जायेगा ,जिसमें 5 लाख दुधारू गायों ,5 लाख भैंस ,5 लाख भेड़ ,5 लाख बकरियों और 1 लाख ऊंट शामिल हैं।

स्वस्थ पशुधन, समृद्ध राजस्थान

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

महत्वपूर्ण जानकारी :

पंजीकरण की अवधि: 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक पशुपालक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यह पंजीकरण पूर्णतया ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

पात्रता: यह योजना राजस्थान के सभी जनाधार कार्डधारक पशुपालकों के लिए उपलब्ध है। पशुपालकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

बीमा कवरेज: इस योजना के अंतर्गत कुल 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं।

5 लाख दुधाल गायें 5 लाख भैंसें 5 लाख भेड़ें

5 लाख बकरियां 1 लाख ऊंट

पंजीकरण प्रक्रिया: पशुपालक दो तरीकों में पंजीकरण कर सकते हैं

स्वयं MMPBY मोबाइल ऐप या वेबसाइट (<https://mmpby.rajasthan.gov.in>) के माध्यम से नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर

इस योजना के पात्र राज्य के सभी जनाधार कार्डधारक पशुपालक होंगे, इस योजना के लिए पशुपालकों को कोई शुल्क देना होता है।

इस योजना का नोडल विभाग पशुपालन विभाग है।

इस योजना में 400 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

कीमत का निर्धारण

क्र.स.	पशु का प्रकार	बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक
1	गाय (दुधारू)	अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
2	भैंस (दुधारू)	अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
3	बकरी (मादा)	अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
4	भेड़ (मादा)	अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
5	ऊंट (नर एवं मादा)	अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु

Note - कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।

56. (1)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं।

अवॉर्ड	साल	देश
1. ऑर्डर ऑफ अब्दुलअजीज अल सऊद	2016	सउदी अरब

2.	ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान	2016	अफगानिस्तान
3.	ग्रेंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवॉर्ड	2018	फिलिस्तीन
4.	रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन	2019	मालदीव
5.	ऑर्डर ऑफ जायद अवॉर्ड	2019	संयुक्त अरब अमीरात
6.	किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां	2019	बहरीन
7.	लीजन ऑफ मेरिट	2020	संयुक्त राज्य अमेरिका
8.	कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी	2023	फिजी
9.	इकबाल अवॉर्ड	2023	पलाउ
10.	द ऑर्डर ऑफ लोगोहू	2023	पापुआ न्यू गिनी
11.	ऑर्डर ऑफ द नाइल	2023	मिस्र
12.	लीजन ऑफ ऑनर	2023	फ्रांस
13.	ग्रेंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर	2023	ग्रीस
14.	ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो	2024	भूटान
15.	ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू	2024	रूस
16.	ऑर्डर ऑफ नाइजर	2024	नाइजीरिया
17.	डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर	2024	डोमिनिका
18.	ऑर्डर ऑफ एक्सीलेस गुयाना	2024	गुयाना
19.	ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस	2024	बारबाडोस
20.	ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर	2024	कुवैत

57. (2)

राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 15 दिसंबर, 2024 को जयपुर के पिंजरापोल गौशाला में अंत्योदय सेवा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में राजस्थान बजट

2024- 2025 में घोषित ' मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना', ' मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना ' और 'मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना' को प्रारंभ किया गया।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना-

इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹ 50 लाख तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी देखभाल के लिए ₹5 हजार प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस योजना के पहले चरण में जेके लोन अस्पताल और एम्स जोधपुर को इलाज के लिए अधिकृत किया गया है।

इस योजना की मॉनिटरिंग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जाएगी।

उद्देश्य - राज्य में दुर्लभ बीमारियों से से पीड़ित बालक - बालिकाओं को समुचित इलाज देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

58. (4)

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुँच प्रदान करने के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' को 25 नवम्बर, 2024 को मंजूरी दी गई। जो 1 जनवरी, 2025 से पूरे भारत वर्ष में लागू हुई।

'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' (One Nation One Subscription-ONOS) योजना की एक सरल, यूजर-फ्रेंडली और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

इस योजना के लिए 3 कैलेंडर वर्षों- 2025, 2026 और 2027 हेतु कुल लगभग ₹ 6,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

ONOS योजना का समन्वय सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है।

पारंपरिक शैक्षणिक प्रकाशन 'पे टू रीडर' मॉडल पर निर्भर करता है, जहाँ पुस्तकालय और संस्थान प्रकाशित शोध तक पहुँच के लिये शुल्क का भुगतान करते हैं।

यह योजना अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों व नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एएनआरएफ (ANRF Anusandhan National Research Foundation) पहल की पूरक होगी।

एएनआरएफ समय-समय पर योजना के उपयोग तथा इन संस्थानों के भारतीय लेखकों के प्रकाशनों की समीक्षा करेगा।

उच्च शिक्षा विभाग के पास 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' के नाम से एक एकीकृत पोर्टल होगा, जिसके माध्यम से संस्थान पत्रिकाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकेंगे।

योजना से लगभग 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता संभावित रूप से एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना का लाभ उठा सकेंगे।

यह पहल टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित सभी विषयों के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के विशाल प्रवासी समुदाय के लिए विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं तक पहुँच का विस्तार करेगी।

59. (2)

दिए गए प्रश्न में कथन 2 और 4 सही हैं, अतः सही उत्तर विकल्प 2 होगा।

अनुच्छेद - 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताएं होनी चाहिये। तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को अन्य दायित्वों की तुलना में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के दायित्वों को ज्यादा वरीयता देनी होगी। इस दौरान उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यायनिर्णयन शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

नोट - अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है।

60. (2)

संविधान सभा द्वारा इस विस्तृत संविधान का निर्माण कार्य करने हेतु कई समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों में 8 बड़ी और अन्य कई छोटी या उप समितियों के माध्यम से कार्य विभिन्न कार्य संपादित किए गए थे।

समितियाँ	अध्यक्ष
1. संघ शक्ति समिति	- जवाहर लाल नेहरू
2. मूल अधिकार समिति	- सरदार वल्लभ भाई पटेल
3. प्रक्रिया नियम समिति	- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
4. मूल अधिकार , अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति	- सरदार वल्लभ भाई पटेल
मूल अधिकार उप समिति	- जे. बी. कृपलानी
5. संघीय संविधान समिति	- जवाहर लाल नेहरू
6. प्रारूप समिति	- डॉ. भीमराव अंबेडकर
7. संचालन समिति	- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
8. राज्यों के लिए समिति	- जवाहरलाल नेहरू

61. (3)

अनुच्छेद -51 (क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह:-

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का सम्मान करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।

4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7. पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जनार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छूने में सक्षम हो।
11. 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएँ (यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा जोड़ा गया)।

62. (2)

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

63. (4)

केन्द्रीय सर्तकता आयोग -

केन्द्रीय सर्तकता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक केंद्रीय सर्तकता आयुक्त (अध्यक्ष) व दो या दो से कम सर्तकता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृहमंत्री होते हैं।

केंद्रीय सूचना आयोग -

एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त (6 सदस्य) की नियुक्ति राष्ट्रपति 5द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है ,इस समिति में लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री' सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग -

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित छह सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में अन्य सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप-सभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृहमंत्री होते हैं।

लोकपाल -

इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों के चयन के लिए गठित चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश और कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के चार सदस्यों की अनुशंसा पर नामित होंगे।

64. (4)

भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु किन्हें रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त परिपाटी के अनुसार महासचिव, लोक सभा या महासचिव, राज्य सभा को बारी-बारी से रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। सामान्यतया, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और संघ राज्य-क्षेत्र पुदुचेरी सहित सभी राज्यों के विधान सभाओं के सचिवों तथा एक और वरिष्ठ अधिकारी को भी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। (राष्ट्रपतीय निर्वाचन-2022 हेतु महासचिव, राज्य सभा को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामित किया गया है)

राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, इस संबंध में उसके लिए केवल एक प्रतिभूति जमाराशि जमा किए जाने की अपेक्षा है। [राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख (6) और 5ग अनुसार]

नोट - मूलतः संविधान में नाम निर्देशन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति राशि का प्रावधान नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम द्वारा 2500 रुपये रखा गया था। वर्तमान में यह राशि 15,000 रुपये है, जो निश्चित कोटा के 1/6 मत प्राप्त करने पर वापस लौटा दी जाती है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचक केवल एक ही अभ्यर्थी के नाम-निर्देशन का प्रस्थापन या समर्थन कर सकता है। यदि वह एक से अधिक अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पर प्रस्थापक या समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करता/करती है, तो उसके हस्ताक्षर केवल उस नामनिर्देशन-पत्र हेतु प्रवर्तनशील माने जाएंगे, जो रिटर्निंग अधिकारी को सर्वप्रथम परिदत्त किया गया था। [राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख (5) अनुसार]

65. (4)

भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था।

1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता -

1. विस्तृत अधिनियम
2. प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ
3. केंद्र में द्वेष शासन की स्थापना
4. प्रांतीय स्वायत्तता
5. शक्तियों का विभाजन
6. संरक्षण व आरक्षण की व्यवस्था
7. विधानमंडल के संगठनों एवं मताधिकार का विस्तार
8. संघीय न्यायालय
9. भारत परिषद् का अंत

भारत के वर्तमान संविधान पर 1935 के अधिनियम का प्रभाव निम्न है -

1. संघीय योजना।
2. द्विसदनीय विधान मण्डल का विचार।
3. संवैधानिक संकट के प्रावधान।
4. राज्यपाल का पद
5. विस्तृत संवैधानिक डॉक्यूमेंट।
6. संघीय कानून व राज्य के कानून में विरोध होने की स्थिति में संघीय कानून को मान्यता का विषय।
7. राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां
8. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संघीय संसद व कार्यपालिका के निर्देशन में।

66. (4)

अनुच्छेद - 35 इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए कानून -

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) संसद को कानून बनाने की शक्ति होगी, राज्य के विधानमंडल को नहीं—

- (i) किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा उपबंधित किया जा सकेगा; और
- (ii) उन कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए जो इस भाग के तहत अपराध घोषित किए गए हैं, और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशीघ्र उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कृत्यों के लिए दंड विहित करने के लिए कानून बनाएगी;
- (ख) खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में या उस खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए जाने वाले किसी अनुकूलन और उपांतरण के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक उसे संसद द्वारा परिवर्तित या निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है।

67. (3)

24 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित उपबंध किए गए थे।

1. राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने के बाध्यकारी बनाया गया।
2. संसद को अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों न हो संशोधन किया जा सकता है।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 जो 3 जनवरी, 1977 को लागू हुआ।

1. इसके द्वारा संविधान में दो नए (भाग - 4A) और (भाग - 14) का उपबंध जोड़े गए।
भाग - 4A - नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया।
भाग - 14A - प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान किया गया।
2. इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, एवं अखंडता शब्द जोड़े गए।
3. नीति निदेशक तत्व में 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए

- A. 39A समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता।
 - B. 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।
 - C. 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी।
4. 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित कर दिया गया।
 5. 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। जैसे - शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन।
 6. संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया।

68. (4)

अनुच्छेद 80 (3) के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं।

पहली बार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में निम्नलिखित 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया था -

1. सत्येंद्र नाथ बोस
2. रुक्मणी देवी (प्रथम महिला)
3. जाकिर हुसैन (राष्ट्रपति)
4. राधाकमल मुखर्जी
5. साहिब सिंह
6. एन आर मलकानी
7. जगदीशन मोहनदास कपूरड़ा
8. पृथ्वीराज कपूर
9. मैथिली शरण गुप्त
10. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर (प्रारूप समिति सदस्य)
11. काका कालेलकर

69. (4)

जिला कलेक्टर -

जिला कलेक्टर पद सृजन वर्ष 1772 में, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया और जिला कलेक्टर को भू-राजस्व के अधिकार प्रदान किए गए। वर्ष 1772 में बंगाल का प्रथम कलेक्टर राल्फ शैल्डन को बनाया गया।

जिले में जिला कलेक्टर निम्नलिखित कार्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में करता है -

- (1) जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में।
- (2) जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में।
- (3) जिले में मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में।
- (4) दैनिक जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति व वितरण पर निगरानी रखना (खाद्य व रसद सामग्री)।
- (5) अधीनस्थ अधिकारियों की गतिविधियों का निरीक्षण करना व उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- (6) जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम ,2005 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया।

Note - जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2006 से राज्य भर में लागू हुआ।

अनुच्छेद - 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

- (1) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति तथा पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।
- (2) कोई व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो और उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति की सिफारिश की गई हो।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना वर्ष 2009 में की गई थी।

जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम ,2005 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया।

70. (3)

यह अधिनियम 14 नवम्बर 2011 को सम्पूर्ण राज्य में लागू हुआ, तत्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय लागू हुआ। (राज्यपाल की अनुमति 21 सितम्बर, 2011 को)

यह एक ऐसा अधिनियम है जो राजस्थान की जनता को निर्धारित समय सीमा में सेवा प्रदान करने की गारंटी प्रदान करता है। इसमें आमजन की सक्रिय भागीदारी के साथ अधिकारी व कर्मचारी समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

राजस्थान लोक सेवाओं प्रदान गारंटी एक्ट 2011

प्रारम्भ में इस अधिनियम के तहत 15 विभागों की 108 सेवाएँ जनता को उपलब्ध कराई जा रही थी।

बाद में 18 विभागों की 153 सेवाओं को उपलब्ध कराया गया।

इस अधिनियम के तहत बाद में 25 विभागों की 221 सेवाएँ जनता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया गया।

इस अधिनियम के तहत वर्तमान में 27 विभागों की 287 सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

राजस्थान लोक सेवाओं प्रदान गारंटी एक्ट, 2011 के मुख्य उद्देश्य

1. सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार को कम करना तथा पारदर्शिता एवं लोक जवाब देयता में वृद्धि करना।
2. जन - समस्याओं का त्वरित समाधान करना।
3. जनता को प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना।
4. प्रशासन में सेवा प्रदान करने में आमजन तथा लोकसेवकों की सक्रिय भागीदारी प्रदान करना।
5. प्रशासन में व लोकसेवा में प्रतिबद्धता, समयबद्धता व कार्यकुशलता सुनिश्चित करना।
6. लोगों को लोक सेवा प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्रदान करना।

71. (4)

भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों व कार्यों तथा नियुक्तियों व बर्खास्तगी का विस्तृत वर्णन मिलता है।

संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

संविधान आयोग की सदस्य संख्या के संदर्भ में मौन है। राष्ट्रपति, आयोग की सदस्य संख्या का निर्धारण करता है।

इसके अलावा संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा, राष्ट्रपति आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत हैं।

आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करते हैं। वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।

Note - राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो तक होता है।

नोट - संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर रोज बार्कर घोष(वर्ष 1926 - 1932) थे ,लेकिन वर्तमान में इसकी अध्यक्षता प्रति सूदन है।

72. (1)

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। इस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. रामसुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया।

भारत सरकार ने 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया।

- मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 - श्री डी गुकेश, शतरंज, श्री हरमनप्रीत सिंह, हॉकी, श्री प्रवीण कुमार, पैरा-एथलेटिक्स और सुश्री मनु भाकर, निशानेबाजी।
- अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम) 2024 - नई श्रेणी - व्यायाम - श्री सुच्चा सिंह, पैरा-स्विमिंग - श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर।
- द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 - नियमित श्रेणी - पैरा-शूटिंग - श्री सुभाष राणा, शूटिंग - सुश्री दीपाली देशपांडे, हॉकी - श्री संदीप सांगवान और आजीवन श्रेणी - बैडमिंटन - श्री एस मुरलीधरन, फुटबॉल - श्री अरमांडो एग्नेलो कोलाको
- राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार - फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया

73. (4)

पेरिस ओलंपिक ,2024 -

इस ओलम्पिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका (126 पदक) रहा। जबकि भारत का पदक तालिका में 71 वाँ स्थान रहा । भारत ने इस प्रतियोगिता एक रजत और 5 कांस्य पदक जीते। जो निम्नलिखित है -

खिलाड़ी/टीम	पदक	प्रतिस्पर्धा
1. नीरज चोपड़ा	रजत	ज्वेलिन थ्रो (89.45 मीटर)
2. मनु भाकर	काँस्य	10 मीटर एयर पिस्टल
3. मनु भाकर एवं सरबजोत सिंह	काँस्य मिश्रित	10 मीटर एयर पिस्टल
4. स्वप्निल कुसाले	काँस्य	50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष
5. अमन सेहरावत	काँस्य	पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती 57 किग्रा.
6. भारतीय हॉकी टीम	काँस्य	पुरुष हॉकी टीम ने

इसके उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पी.वी. सिंधु और शरत कमल थे। इसके समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश थे।

पेरिस ओलम्पिक ,2024 का शुभंकर फ्रिजेस है,जबकि टोक्यो ओलंपिक,2020 का शुभंकर मिराइतोवा था।

74. (4)

राजस्थान राज्य मंत्रिमण्डल की 28 दिसम्बर, 2024 को आयोजित बैठक में पिछली सरकार के समय में नवीन गठित 17 जिलों और नवीन 3 संभागों का पुनः निर्धारण कर उक्त निर्णय लिया गया है कि अब राज्य में कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे।

राज्य सरकार द्वारा निरस्त किए गए 3 संभाग बाँसवाड़ा, पाली और सीकर हैं।

राज्य सरकार द्वारा निरस्त किए गए नवसृजित 9 जिले अनूपगढ़, दृद्ध, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, साँचौर व शाहपुरा हैं।

राज्य सरकार द्वारा यथावत रखे गए 8 नवसृजित जिले फलोदी, बालोतरा, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना- कुचामन और सलूमबर हैं।

इसके अलावा विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले घोषित 3 नए जिलों मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को भी निरस्त कर दिया गया है।

75. (1)

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 'डेजर्ट साइक्लोन' 2 से 15 जनवरी, 2024 तक महाजन, राजस्थान में आयोजित किया गया।

भारत और मंगोलिया के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 'नोमैडिक एलीफेंट' का आयोजन जुलाई, 2024 में मेघालय के उमरोई में किया गया।

भारत और थाईलैण्ड के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मैत्री' का 13वाँ संस्करण थाईलैण्ड में आयोजित किया गया।

भारत और कज़ाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद- 2024 का आयोजन औली, उत्तराखंड में 30 सितंबर से 13 अक्टूबर, 2024 तक किया गया।

'मित्र शक्ति' भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन सालाना एक बार भारत और एक बार श्रीलंका में किया जाता है। वर्ष 2024 में, 'मित्र

शक्ति' का 10वाँ संस्करण 12 से 25 अगस्त के बीच श्रीलंका के मदुरु ओया में आयोजित किया गया था।

76. (1)

एसडीजी इंडिया इंडेक्स, 2023-24

नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स, 2023-24 में भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 71 है। यह वर्ष 2020-21 में 66 और वर्ष 2018 में 57 था। उत्तराखंड एवं केरल का समग्र एसडीजी स्कोर 79 है।

नोट - राजस्थान का समग्र एसडीजी स्कोर 67 है।

नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स, 2023-24 में उत्तराखंड एवं केरल को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स, 2023-24 में केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ को समग्र एसडीजी स्कोर 77 के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।

77. (2)

RHUMI-1 भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है, जिसे चेन्नई के थिरुविदंधई से लॉन्च किया गया था। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस ज़ोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है।

RHUMI-1 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-

हाइब्रिड रॉकेट इंजन - कार्यकुशलता में सुधार लाने और परिचालन लागत को कम करने के लिए ठोस और तरल प्रणोदकों के संयोजन का उपयोग करता है।

समायोज्य प्रक्षेपण कोण इसके प्रक्षेप पथ पर सटीक नियंत्रण के लिए इसे 0 से 120 डिग्री तक समायोजित किया जा सकता है।

विद्युत चालित पैराशूट प्रणाली रॉकेट घटकों की सुरक्षित पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी अवतरण तंत्र।

पर्यावरण अनुकूल टीएनटी। 100% आतिशबाज़ी मुक्त और 0%

मोबाइल प्रक्षेपण प्रणाली वैज्ञानिकों को किसी भी स्थान से विभिन्न प्रक्षेपण परिदृश्यों के अनुकूल होने की सुविधा देता है।

78. (1)

आर्द्रभूमियों पर रामसर सम्मेलन, 1971

1971 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये रामसर (कैस्पियन साग के तट पर ईरान में अवस्थित) में एक अंतरसरकारी और बहुदेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिये राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई।

रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरणीय संधि है। वर्तमान में सम्मेलन के 169 पार्टीज (Parties) हैं। यह * समझौता 1975 में लागू हुआ भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ

विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 1971 में इसी दिन रामसर सम्मेलन को अपनाया गया था। हालाँकि पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया।

राजस्थान की नमभूमियाँ (रामसर स्थल) 2 हैं।

1. साँभर झील- 23.3.1990 को घोषित ।
2. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान- 1.10.1981 को घोषित ।

अगस्त 2024 में तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य तथा मध्यप्रदेश में तवा जलाशय को नए आर्द्रभूमि के रूप में रामसर स्थल घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 है।

नोट - तमिलनाडु राज्य में भारत के सर्वाधिक रामसर स्थल (18) हैं।

79. (1)

हाल ही में राज्य सरकार प्रदेश में संचालित 'राजीव गाँधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना' का नाम परिवर्तन कर 'स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना' कर दिया है।

योजना के नाम परिवर्तन के साथ ही सीटों की स्थिति में भी परिवर्तन किया गया है।

इस योजनान्तर्गत सीटों की संख्या 500 रहेगी, किन्तु विदेशी संस्थानों में पढ़ाई के लिए सीटें 300 की जाएँगी। शेष 200 सीटों के लिए देश के ही शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करवाई जाएगी।

पूर्ववर्ती योजना में चयनित 500 स्टूडेंट्स में से 150 छात्र विदेशी संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजे जाते थे।

योजना के तहत चयनित छात्र की शिक्षा का पूरा व्यय राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

80. (3)

EOS-08, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।

इसे 16 अगस्त, 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV-D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था।

यह उपग्रह, इसरो के माइक्रोसैट/आईएमएस-1 बस प्लेटफॉर्म पर बना है।

इसे 475 किलोमीटर की ऊँचाई पर एक गोलाकार लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस सैटेलाइट का उद्देश्य पर्यावरण और आपदा को लेकर स्टीक जानकारी देना है।

इस उपग्रह में तीन पेलोड हैं:-

इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रारेड पेलोड (EOIR)।

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड (GNSS- R)1

SiC-UV डोसीमीटर।

07-12-2024

SSLV-D2 प्रक्षेपण यान द्वारा EOS-07 उपग्रह को 10 फरवरी, 2023 को प्रक्षेपित किया गया।

SSLV-D3 प्रक्षेपण यान द्वारा EOS-08 उपग्रह को 16 अगस्त, 2024 को प्रक्षेपित किया गया।

नोट:-

इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च मिशन -

30 दिसंबर, 2024- स्पैडेक्स मिशन -PSLV - C60 5 दिसंबर, 2024- प्रोबा-3 मिशन - PSLV

सी59

81. (4)

क्वाड नेताओं का छठा शिखर सम्मेलन, 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका के विलमिंगटन में आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल (MAITRI) की शुरुआत की गई। इसका मकसद क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। साल 2025 में भारत पहली मैत्री कार्यशाला की मेज़बानी करेगा।

क्वाड ने समुद्री सुरक्षा में सुधार और अवैध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए साल 2022 में इंडो-पैसिफ़िक पार्टनरशिप फ़ॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) भी शुरू की थी।

भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री कनेक्टिविटी और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ अन्य पहलें: हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA),

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS), भारत-प्रशांत महासागर पहल।

क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।

82. (1)

पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान का प्रदर्शन

राजस्थान के तीन खिलाड़ियों ने पदक जीता -

1. पेरिस पैरालंपिक, 2024 में काँस्य पदक विजेता राजस्थान की मोना अग्रवाल का संबंध निशानेबाज़ी खेल से है। पेरिस पैरालंपिक, 2024 में मोना अग्रवाल ने निशानेबाज़ी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्द्धा में काँस्य पदक जीता। इनका संबंध सीकर जिले से है।

नोट:- हाल ही में मोना अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार, 2024 के लिए चयनित किया गया है।

2. राजस्थान की अवनी लेखरा ने निशानेबाज़ी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध जयपुर से है।

3. राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में काँस्य पदक जीता। इनका संबंध करौली जिले से है।
4. हरविंदर सिंह - तीरंदाजी
इनका संबंध हरियाणा से है, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है।
5. सुमित अंतिल - जेवलिन थ्रो (एथलेटिक्स)
इनका संबंध हरियाणा से है। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है।
6. मनीष नरवाल - निशानेबाजी
इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक हासिल किया है।
इनका संबंध हरियाणा से है।

83. (4)

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, 14-28 जनवरी 2024 तक मेलबर्न पार्क, विक्टोरिया (ऑस्ट्रेलिया) में आयोजित किया गया। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन का 112वां संस्करण था।

पुरुष एकल का खिताब इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता।

महिला युगल का खिताब कीहसिह सु-वेई (ताइवान) और एलिस मर्टेंस ने जीता।

महिला एकल वर्ग बैड स्लैम विजेता वर्ष 2024

ऑस्ट्रेलिया ओपन - आर्यना सबालेका

फ्रेंच ओपन - इगा स्विएटेक

विम्बलडन - बारबोरा क्रेजिसिकोवा

यूएस ओपन - कोको गॉफ

पुरुष एकल वर्ग ग्रैंड स्लैम विजेता वर्ष 2024

ऑस्ट्रेलिया ओपन - जैनिक सिनर

फ्रेंच ओपन - कार्लोस अल्कारेज

विम्बलडन - कार्लोस अल्कारेज

यूएस ओपन - जैनिक सिनर

84. (4)

जोधपुर के भड़ला में स्थित इस सोलर पार्क की क्षमता 2245 मेगावॉट है, इसका विकास चार चरणों में किया गया है

1. भड़ला सोलर पार्क प्रथम फेज (65 मेगावॉट) – राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जो कि आरआरईसीएल की सहयोगी कंपनी है) द्वारा विकसित किया गया है
2. भड़ला सोलर पार्क द्वितीय फेज (680 मेगावॉट)
3. भड़ला सोलर पार्क तृतीय फेज (1000 मेगावॉट) – इसका विकास सौर्य ऊर्जा कम्पनी और राजस्थान लिमिटेड द्वारा किया गया है
4. भड़ला सोलर पार्क चतुर्थ फेज (500 मेगावॉट – अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा।

85. (2)

हड़प्पा संस्कृति अपने उन्नत नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में गढ़ होते थे, जिन पर संभवतः शासक वर्ग का अधिकार होता था। इन शहरों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता घरों की ग्रिड प्रणाली में बनी व्यवस्था थी, न की अरीय रूप में।

हड़प्पा नगरों में अन्न भंडार एक महत्वपूर्ण संरचना थे। इन नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय था। पत्थर का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही कम किया जाता था।

हड़प्पा नगर नियोजन में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, यहां प्रत्येक घर नाली व्यवस्था से जुड़े हुए थे। नालियां ज्यादातर पक्की ईंटों ढकी हुई थीं।

86. (4)

चंद्रगुप्त प्रथम के दरबारी कवि हरिषेण ने समुद्र गुप्त के सैन्य अभियानों का विवरण लिखा था। यह शिलालेख इलाहाबाद में उसी स्तंभ पर खुदा हुआ है जिस पर अशोक का शिलालेख है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में राज्यों, राजाओं और जनजातियों की एक लंबी सूची है, जिन पर

विजय प्राप्त की गई और उन्हें अधीनता के विभिन्न स्तरों के तहत लाया गया। इस शिलालेख के मुताबिक, समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजाओं और दक्षिण में 12 राजाओं को हराया था।

फ़ाहयान एक चीनी बौद्ध भिक्षु और तीर्थयात्री थे जो 399-412 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे।

फ़ाहयान ने बौद्ध धर्मग्रंथों की प्रामाणिक प्रतियों की तलाश में भारत की यात्रा की थी।

उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान अपने अनुभवों और टिप्पणियों को 'फ़ो-क्वो-की' या 'बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख' नामक यात्रा वृत्तांत में दर्ज किया था।

87. (4)

दीपवंश एक प्राचीन ग्रन्थ है जिसमें श्रीलंका का प्राचीनतम इतिहास वर्णित है। 'दीपवंस', 'द्वीपवंश' का अपभ्रंश है जिसका अर्थ 'द्वीप का इतिहास' है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस ग्रन्थ का संकलन अथकथा तथा अन्य स्रोतों से तीसरी-चौथी शताब्दी में किया गया था। महावंस तथा दीपवंस से ही श्री लंका तथा भारत के प्राचीन इतिहास के बहुत सी घटनाओं लेखाजोखा मिलता है।

महावंश (शाब्दिक अर्थ : महान इतिहास) पालि भाषा में लिखी पद्य रचना है। इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। इसमें कलिंग के राजा विजय (५४३ ईसा पूर्व) के श्रीलंका आगमन से लेकर राजा महासेन (334-361) तक की अवधि का वर्णन है। यह सिंहल का प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य है।

88. (2)

पुर्तगाली चित्रकारों द्वारा मुगल दरबार में अकबर के समय यूरोपीय चित्रकला पेश की गई थी। अबुल फजल ने चित्रकला के यूरोपीय शैली की जमकर प्रशंसा की है। मुगल शासक जहाँगीर के समय चित्रकला अपने चर्मोत्कर्ष पर थी, इसके दरबार में कई प्रमुख चित्रकार रहते थे जिसमें अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास आदि प्रमुख थे।

89. (2)

महात्मा गाँधी के द्वारा नमक कानूनों को निरस्त करने हेतु नमक सत्याग्रह 1930 में चलाया गया था। यह सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक कदम था। गाँधी जी के नमक

सत्याग्रह का एक मात्र उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना एवं आम लोगों को आर्थिक राहत पहुँचाना था।

90. (3)

इस समझौते पर महात्मा गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि महात्मा गांधी की तरफ से इस समझौते पर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जबकि दूसरी ओर से समझौते पर भीमराव अंबेडकर ने ही हस्ताक्षर किए थे।

दलित वर्ग के लोगों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में और अनेक स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था भी इस समझौते के अंतर्गत की गई थी।

साम्प्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की सभाओं में सभी राज्यों में निर्धारित 71 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया।

91. (1)

विजयनगर वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं मंदिर परिसर में ऊंचे गोपुरम (प्रवेश द्वार) और नक्काशीदार स्तंभों के साथ कल्याण मंडपम का निर्माण थीं। खंभों पर विशिष्ट विशेषताओं वाली मूर्तियां उकेरी गई थीं। इन स्तंभों में घोड़ा सबसे आम जानवर था।

कथन 2 गलत

बड़े प्रवेश द्वार विजयनगर के मंदिरों की मुख्य विशेषताएं हैं, लेकिन वे राजा की उच्च प्रतिष्ठा से जुड़े नहीं हैं, और हर जीत के बाद, कोई द्वार नहीं बनाया गया था, इसलिए मंदिर में उतने ही द्वार थे जितने उस समय थे जब यह बनाया गया था।

92. (2)

दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की।

- यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसका अर्थ था "रईसों का समाज"।
- समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर ले जाना था।

- कृष्णवन्तो विश्वम् आर्यम् समाज का आदर्श वाक्य था, जिसका अर्थ है, 'इस दुनिया को महान बनाओ'।
- समाज अपने सदस्यों को मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा और पवित्र नदियों में स्नान, पशु बलि, मंदिरों में चढावा, पुरोहिताई को प्रायोजित करने आदि जैसे कर्मकांडों की निंदा करने का निर्देश देता है।
- समाज ने 1880 के दशक में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए।

93. (2)

कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा बंद जल निकाय (Endorheic Basin) है, जो लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसे 'सागर' कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक विशाल खारे पानी की झील है, जिसका कोई समुद्र से प्राकृतिक निकास नहीं है।

रूस (उत्तरपश्चिम), अज़रबैजान (पश्चिम), ईरान (दक्षिण), तुर्कमेनिस्तान (दक्षिणपूर्व) और कजाकिस्तान (उत्तरपूर्व) से घिरा हुआ है। लेकिन इसकी सीमा तुर्की से नहीं लगती है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

2003 में, कैस्पियन तटीय राज्यों ने कैस्पियन सागर के समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए (तेहरान) फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए।

यह यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, इसके पश्चिम में काकेशस पर्वत और पूर्व में मध्य एशिया के मैदान हैं।

94. (3)

घूमंतू पशुपालन – सहारा अफ्रीका (मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया)। एशिया के दक्षिण-पश्चिमी मध्य भाग, स्कैंडिनेवियाई देश (नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड), उत्तरी कनाडा।

मवेशी पशुपालन– अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, ब्राजील अर्जेंटीना, पेरू, न्यूजीलैंड घूमंतू पशुपालन के निकटतम समकक्ष पशुपालन है।

स्थानांतरित कृषि– उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया के केंद्र में उष्णकटिबंधीय तराई की पहाड़ियाँ भी हैं।

अल्पकालीन जुताई– अधिकतर मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया की उष्णकटिबंधीय भूमि तक ही सीमित है

गहन निर्वाह जुताई (धान के प्रभुत्व के साथ)– उष्णकटिबंधीय एशिया, मुख्य रूप से चीन में। जापान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस आदि।

गहन निर्वाह जुताई (धान के प्रभुत्व के बिना)– इसमें आंतरिक भारत और उत्तर-पूर्वी चीन शामिल हैं।

वाणिज्यिक रोपण कृषि– उत्तरी अमेरिका, पश्चिम भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया में किसी भी इंगा एस्टेट की तुलना में अमेरिका में ब्रिटिश बस्तियां, जिनमें मुख्य रूप से नीग्रो या अन्य रंगीन श्रमिकों द्वारा खेती की जाती थीं।

भूमध्यसागरीय कृषि– यूरोप, एशिया, माइनर, उत्तरी अफ्रीकी तटीय पट्टी में भूमध्य सागर। भूमध्यसागरीय तट के बाहर यह प्रणाली कैलिफोर्निया (यूएसए), मध्य चिली, केप प्रांत के दक्षिण-पश्चिम (दक्षिण अफ्रीका), पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पश्चिम में पाई जाती है।

वाणिज्यिक अनाज कृषि– महान गेहूं पेंटी ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से आंतरिक उत्तरी अमेरिका के मैदानी इलाकों, रूस के मैदानों, अर्जेंटीना के पम्पास के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा फार्मर, सोवियत संघ में फैली हुई हैं।

वाणिज्यिक पशुधन और फसल कृषि– यह पूरे यूरोप में पश्चिम में भूमि से मध्य यूरोप से रूस तक पाया जाता है। यह उत्तरी अमेरिका में अर्जेंटीना, दक्षिणपूर्व ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड के पम्पास में 98°0 मेरिडियन में भी पाई जाती है।

निर्वाह फसल और पशुधन कृषि – उत्तरी यूरोप, मध्य पूर्व, मेक्सिको का पर्वतीय क्षेत्र।

वाणिज्यिक डेयरी कृषि – यूरोप, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। यह कृषि आय के 40% में योगदान देती है।

विशिष्ट बागवानी कृषि– उत्तर-पश्चिम यूरोप, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली के घनी जनसंख्या वाले औद्योगिक जिलों में बागवानी अच्छी तरह से विकसित है।

95. (3)

भारत में लगभग 301.6 अरब टन कोयला रिजर्व होने का अनुमान है जिनमें से 260 अरब टन कोयला जिसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली, सीमेंट और उर्वरक उत्पादन में किया जाता है। झारखंड राज्य भारत का सर्वाधिक कोयला भण्डार का क्षेत्र है। यहां प्राय 80.716 मिलियन टन कोयला होने का अनुमान है। धनबाद में झरिया खदान की मुख्य कोयला खदानों में से एक है। ओडिशा भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आरक्षित राज्य है। यहां 75,073 मिलियन टन का अनुमानित भंडार है। राज्य के अंगुल और झारसुगुडा जिलों में मुख्य खदानें हैं।

96. (3)

मणिपुर-अभ्रक सही सुमेलित नहीं है।

बबाबूदान की पहाड़ियां कर्नाटक में स्थित हैं, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं।

बालाघाट मध्य प्रदेश स्थित क्षेत्र है, जो मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

कालाहाण्डी ओडिशा में है, जो बाक्साइड उत्पादन के लिए जाना जाता है।

अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा झारखण्ड में होता है।

मणिपुर उत्तर पूर्वी राज्यों (7राज्यों) में एक है, जो क्रोमाइट तथा लाइम स्टोन के खनन के लिए प्रसिद्ध है।

97. (3)

1. रबर - केरल भारत में रबर उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी रबर की खेती के लिए उपयुक्त हैं।

2. चावल - पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में भारत में अग्रणी है। यहाँ की जलवायु और जल संसाधन चावल की खेती के लिए अनुकूल हैं।

3. रागी - गोआ रागी (मंडुआ) का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है। रागी उत्पादन में कर्नाटक, तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य प्रमुख हैं।

गोआ में रागी की खेती बहुत कम होती है।

4. कॉफी - कर्नाटक भारत में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। विशेष रूप से चिकमंगलूर और कोडागु जिले कॉफी के लिए प्रसिद्ध हैं।

98. (1)

परिवहन के साधनों में जल परिवहन बहुत ही प्राचीन साधन है रेलों के जन्म से पूर्व ही जल परिवहन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख साधन है। यह दो प्रकार का होता है।

1. आन्तरिक या अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन
2. जहाजरानी परिवहन अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए अक्टूबर 1986 में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया।
1. नेशनल जलमार्ग नम्बर 1 प्रयागराज से हल्दिया तक - (1620 किमी) 1986 में सर्वप्रथम स्थापित किया गया।
2. नेशनल जलमार्ग 2- सदिया से धुबरी तक - (891 किमी) है।
3. नेशनल जलमार्ग 3-कोल्लम से कोट्टापुरम - (205 किमी)
4. नेशनल जलमार्ग 4 बजीराबाद, विलयवाडा, भद्रचलम राजमुन्दरी, काकीनाडा, पुडुचेरी (1095 किमी.)
5. नेशनल जलमार्ग 5 तलचर धमरा, जियोनखली, चरबतिया, धमरा मंगलगढी पाराद्वीप (623 किमी)

99. (4)

कुण्डा परियोजना कुण्डा नदी पर स्थित है। यह भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तमिलनाडु की एक प्रमुख नदी है और इससे लाभान्वित राज्य तमिलनाडु है।

सलाल परियोजना भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित है। यह एक जल विद्युत परियोजना है। इसकी आधारशिला 1920 में रखी गयी थी।

बेतवा नदी पर स्थित माताटीला बांध का निर्माण 1958 ई. में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।

थीन डैम परियोजना एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह पंजाब के पठान कोट जिले में रावी नदी पर बनाया गया है। इसको रणलीत सागर बांध के नाम से जानते हैं।

100. (3)

अप्लेशियन श्रेणी:

यह पर्वत श्रेणी पूर्वी उत्तरी अमेरिका में स्थित है।

विशेषता:

अप्लेशियन पर्वत क्षेत्र अपने प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से कोयला और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएँ इस क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पूरा करती हैं।

यह प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण 300 मिलियन साल पहले हुआ।

यहाँ का सबसे ऊँचा शिखर "माउंट मिटचेल" है।

कैस्केड श्रेणी –

यह पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है।

विशेषता:

यह पर्वत श्रृंखला सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए जानी जाती है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है माउंट रेनियर, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है।

माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी है।

इस श्रेणी में "माउंट सेंट हेलेंस" और "माउंट हुड" जैसे अन्य प्रमुख ज्वालामुखी भी शामिल हैं।

यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।

अलास्का श्रेणी –

यह श्रेणी अलास्का क्षेत्र में स्थित है।

विशेषता:

अलास्का श्रेणी में "10000 स्मोक्स वैली" स्थित है, जो कातमाई राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है।

यह घाटी 1912 में नोवोरप्टा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बनी थी, जहाँ से लगातार गैसों और धुआँ निकलता था, जिससे इसका नाम पड़ा।

यह क्षेत्र ज्वालामुखी गतिविधियों और ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है।

यहाँ "माउंट मैकिन्ले" (डेनाली), जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी है, स्थित है।

सिएरा नेवादा श्रेणी –

यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया और नेवादा के बीच स्थित है।

विशेषता:

यह श्रेणी विशाल सिकोइया वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है।

सिकोइया राष्ट्रीय उद्यान और योसेमिटी राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र के प्रमुख आकर्षण हैं।

"जनरल शेरमन ट्री" (सिकोइया वृक्ष) दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है।

101. (3)

जापान के पास विकसित जलीय विद्युत तकनीक है। जिससे वह कोयला व अन्य खनिजों के विशाल निक्षेपों के न होने के कारण भी उच्च कोटि की औद्योगिक क्षमता में विकसित है। इसके साथ ही जापान की द्वीपीय स्थिति के कारण वह कच्चे व भारी माल का आसानी से आयात कर लेता है, और उससे उच्च कोटि का सामान निर्मित कर निर्यात करता है। द्वीपीय अवस्थिति के कारण जापान की जलवायु भी समशीतोष्ण पायी जाती है, जो वहाँ की जनसंख्या को उच्च कोटि की कार्यकुशलता प्रदान करती है।

102. (3)

आल्प्स अल्पाइन ओरोजेनी (पर्वत निर्माण घटना) के दौरान उभरे, एक घटना जो लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी जब मेसोजोइक युग समाप्त हो रहा था। आल्प्स ऊबड़-खाबड़ सतह और ऊँची शंक्वाकार चोटियों वाले युवा तहदार पहाड़ हैं।

आल्प्स फ्रांस के नीस के पास उपोष्णकटिबंधीय भूमध्यसागरीय तट से उत्तर में जिनेवा झील तक पूर्व-उत्तरपूर्व में ऑस्ट्रिया के वियना तक फैले हुए हैं। वहाँ वे डेन्यूब नदी को छूते हैं और आसन्न मैदान के साथ मिल जाते हैं।

103. (3)

वैश्विक स्वास्थ्य संकट और जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तनशीलता के बावजूद, इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है। यह क्षेत्र वित्त वर्ष 2005 से वित्त वर्ष 2014 की तुलना में वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2023 तक उच्च औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023 के लिए, इस क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 4.0% की वृद्धि हुई है।

कृषि क्षेत्र की स्थिति

- वित्त वर्ष 2024 में भारत के GVA में कृषि क्षेत्र का योगदान 18% होने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2023 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मीट्रिक टन (वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 14.1 मीट्रिक टन की वृद्धि) था।
- भारत दुनिया भर में दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और फलों, सब्जियों, चाय, मछली, गन्ना, गेहूं, चावल, कपास और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत का कृषि निर्यात वित्त वर्ष 23 में 4.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को पार कर गया।

104. (4)

लैंगिक विषमता सूचकांक (Gender Inequality Index - GII) एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को मापने के लिए उपयोग किया जाता है।

मुख्य घटक:

लैंगिक विषमता सूचकांक को तीन प्रमुख आयामों के आधार पर मापा जाता है:

1. स्वास्थ्य (Health):

- मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio)
- किशोर जन्म दर (Adolescent Birth Rate)

2. सशक्तिकरण (Empowerment):

- संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (Representation in Parliament)
- महिलाओं और पुरुषों के बीच माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दर

3. श्रम बल में भागीदारी (Labour Force Participation):

A.. कामकाजी पुरुषों और महिलाओं का अनुपात

लक्ष्य और महत्व:

यह सूचकांक महिलाओं की स्थिति को मापता है और समाज में व्याप्त लैंगिक असमानताओं को उजागर करता है।

मान (Value):

सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है।

0 का मतलब है पूर्ण समानता, जबकि 1 का मतलब है पूर्ण असमानता।

प्रभाव:

1. उच्च GII स्कोर:

इसका मतलब है कि देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता अधिक है।

2. निम्न GII स्कोर:

यह इंगित करता है कि देश में लैंगिक समानता बेहतर है।

105. (4)

राज्य सरकार के कार्य

1. उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, संचालन और निगरानी।
2. दुकानदारों का चयन और लाइसेंस जारी करना।
3. दुकानों पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और अन्य प्राथमिकता वाले वर्गों (Antyodaya) के लाभार्थियों की सूची तैयार करना।
5. राशन कार्ड जारी करना और उनकी नियमित अद्यतन प्रक्रिया।
6. केंद्र से प्राप्त अनाज और अन्य वस्तुओं (जैसे चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल) का राज्य गोदामों में भंडारण।
7. उचित मूल्य की दुकानों तक इन वस्तुओं की समय पर आपूर्ति।
8. वितरित किए जा रहे अनाज और अन्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
9. गड़बड़ियों या कालाबाजारी की शिकायतों की जांच करना।

10. केंद्र द्वारा निर्धारित सब्सिडी वाले मूल्य पर वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करना।
11. सब्सिडी की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना।
12. नागरिकों को PDS के तहत उनके अधिकारों और सुविधाओं के बारे में जागरूक करना।
13. शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी देना।
14. शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना और लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान करना।
15. उचित मूल्य की दुकानों और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी।

106. (1)

मूल्यहास एवं अवमूल्यन एक ऐसी आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें किसी अन्य मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी होती है जिसके परिणामस्वरूप उस मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है। मूल्यहास नम्य विनिमय दर (floating exchange rate) प्रणाली में घटित होता है, जिसमें बाजार कारकों के आधार पर देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। दूसरी ओर, अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर (fixed/pegged exchange rate) प्रणाली के साथ संबद्ध है। मांग एवं आपूर्ति जैसे बाजार कारकों के कारण घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी (मूल्यहास) होती है जबकि अवमूल्यन, केंद्रीय बैंक द्वारा जानबूझकर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य में की गई कमी को प्रदर्शित करता है। मूल्यहास दैनिक आधार पर हो सकता है, जबकि अवमूल्यन सामान्यतया केंद्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर किया जाता है।

107. (2)

आर्थिक मंदी के समय सरकार मांग बढ़ाने के लिए वित्तीय नीतियों (Fiscal Policies) का सहारा लेती है, जैसे करों में कटौती और सरकारी व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय से सीधे रोजगार सृजित होता है और अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ता है।

सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना

यह सबसे संभावित और प्रभावी कदम है। आर्थिक मंदी के समय, सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे कि अवसंरचना, सड़क, रेलवे आदि पर खर्च बढ़ाती है, जिससे रोजगार और आय सृजित होता है, और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

108. 2

सीपीआई बास्केट में विभिन्न वस्तुओं का भार उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जब हमने 2011-12 में सीपीआई संयुक्त शुरू किया, तब हमने विभिन्न वस्तुओं पर उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यय के अनुसार भार निर्धारित किया। मुद्रास्फीति (सीपीआई संयुक्त) सीपीआई बास्केट में विभिन्न वस्तुओं की कीमत और भार पर निर्भर करती है। हम हर महीने विभिन्न वस्तुओं की कीमत मापते हैं लेकिन वजन हर महीने नहीं मापा जाता है (यह निश्चित रहता है)। वजन 5/6 साल में बदला जाता है, सालाना नहीं। लेकिन इस बार हम 2011-12 से विमुद्रीकरण, जीएसटी, कोविड के कारण वजन नहीं बदल पाए हैं। इसलिए, जब सीपीआई संयुक्त प्रकाशित किया जा रहा है तो यह मासिक रूप से विभिन्न वस्तुओं के मूल्य डेटा को कैप्चर कर रहा है लेकिन वजन केवल पुराने हैं जो 2011-12 में तय किए गए थे। हम वजन को संशोधित करने की योजना बना रहे हैं। मान लीजिए कि हम 2024-25 में भार को संशोधित करते हैं, तो फिर अगले 5/6 वर्षों के लिए भार स्थिर रहेगा क्योंकि मासिक रूप से भार को मापना कठिन/बोझिल है, और भार में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है इसलिए हम भार में परिवर्तन को अनदेखा करते हैं और मुद्रास्फीति के आंकड़ों को समय पर प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं।

109. (3)

ओवरहीटिंग अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो अस्थिर दर से विस्तार कर रही है। ओवरहीटिंग अर्थव्यवस्था के दो मुख्य संकेत हैं:

1. मुद्रास्फीति की बढ़ती दरें।

2. एक बेरोजगारी दर जो अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य दर से कम है (जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में अधिक मांग है)

इसलिए, ओवरहीटिंग अर्थव्यवस्था में, मुद्रास्फीति 'लागत धक्का' कारकों के बजाय 'मांग खींचने' कारकों के कारण अधिक होती है।

मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति के मामले में, ब्याज दरें बढ़ाकर आरबीआई फर्मों और परिवारों के लिए उधार लेना महंगा कर देता है। निवेश और उपभोग वस्तुओं के साथ-साथ श्रमिकों की मांग कम हो जाती है, जिससे अत्यधिक गर्म अर्थव्यवस्था ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर मुद्रास्फीति आपूर्ति-झटके के कारण है, तो ब्याज दरें बढ़ाने से आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करके मुद्रास्फीति के बिगड़ने का जोखिम होगा क्योंकि ब्याज अपने आप में लागत है।

110. (2)

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio - CRR) भारत के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास जमा की जाने वाली एक निश्चित राशि है। यह राशि बैंक के कुल जमा (Net Demand and Time Liabilities - NDTL) का एक प्रतिशत होती है, जिसे RBI द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

CRR की मुख्य विशेषताएं:

1. **आरक्षित राशि:**

यह राशि नकद में होती है और बैंक इसे निवेश या उधार देने के लिए उपयोग नहीं कर सकते।

2. **RBI का नियंत्रण:**

CRR का निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है और यह मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

3. **कोई ब्याज नहीं:**

बैंकों को इस आरक्षित राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।

CRR के उद्देश्य:

1. **मुद्रास्फीति पर नियंत्रण:**

CRR बढ़ाने से बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे मुद्रा की आपूर्ति घटती है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जाता है।

2. मुद्रा की आपूर्ति को विनियमित करना:

CRR कम करने से बैंकों को अधिक ऋण देने की क्षमता मिलती है, जिससे बाजार में धन की आपूर्ति बढ़ती है।

3. बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता:

यह बैंकों की तरलता (liquidity) पर नियंत्रण रखता है, जिससे वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी रहती है।

4. आर्थिक विकास:

CRR कम करने से ऋण वितरण में वृद्धि होती है, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

CRR के प्रभाव:

1. CRR बढ़ने पर:

बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होता है।

ब्याज दरें बढ़ सकती हैं।

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होता है।

2. CRR घटने पर:

बैंकों के पास अधिक धन उपलब्ध होता है।

उधारी बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं।

मुद्रा स्फीति बढ़ने की संभावना रहती है।

111. (4)

हाल ही में, बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी आई.एन.एस. अरिघात से बैलिस्टिक मिसाइल K-4 का सफल परीक्षण किया है।

K-4 मिसाइल एक परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की 'पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल' (SLBM) है।

इस मिसाइल का नामकरण पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सम्मान में किया गया है।

इस मिसाइल की मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर से अधिक है।

इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया गया है।

इसकी गति मैक 5 या ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेज (100 किमी. प्रति मिनट) है।

इसका आकार 1.5 मीटर व्यास, 10 मीटर लंबाई, वजन 20 टन है।

इस मिसाइल की वारहेड क्षमता 2.5 टन तक के हथियार ले जाने की है।

112. (1)

गोताखोरों को साँस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम लगभग 1:4 के मिश्रण के रूप में दिया जाता है। क्योंकि यह रक्त में बहुत कम विलेय है। श्वसन पीड़ित रोगियों को भी यही गैस दी जाती है।

113. (1)

मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है।

भौतिक परिवर्तन— वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है।

यह सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है।

उदाहरण— गलन, वाष्पन, संघनन, हिमांकन, आसवन, उर्ध्वपातन की क्रिया।

मोम का पिघलना

बर्फ का टुकड़ा पिघलना

रासायनिक परिवर्तन— वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं।

उदाहरण— उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना।

प्रकाश संश्लेषण व श्वसन की क्रिया।

मोमबत्ती का जलना।

कच्चे फल का पकना।

लोहे पर जंग लगना।

114. (3)

फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है। ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बचे।

115. (2)

कथन 2 असत्य हैं क्योंकि जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) जितना अधिक होता है तो पानी में प्रदूषण का स्तर भी उतना ही अधिक होता है। पानी में BOD की मात्रा प्रदूषण के स्तर का सूचक है। यदि पानी में बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ मिला दिया जाए तो सारी उपलब्ध ऑक्सीजन का उपयोग हो जाएगा।

इससे मछलियों और ऑक्सीजन पर निर्भर जलीय जीवों के अन्य रूपों की मृत्यु हो जाएगी।

116. (3)

फोटॉन, जिसे प्रकाश क्वांटम के रूप में भी जाना जाता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक छोटा ऊर्जा पैकेट है। फोटॉन का विचार 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के विवरण से उत्पन्न हुआ, जिसमें उन्होंने प्रकाश के संचरण के दौरान असतत ऊर्जा पैकेट की उपस्थिति का सुझाव दिया था।

इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जे जे थॉमसन द्वारा कैथोड किरणों की जांच के कारण हुई थी। इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म उपपरमाण्विक कण है जिसका ऋणात्मक आवेश $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ तथा द्रव्यमान $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के उस आयतन में मौजूद होते हैं जो नाभिक के चारों ओर होता है। वे परमाणु के नाभिक के चारों ओर गोलाकार कोशों में मौजूद होते हैं और कई ऊर्जा स्तरों को दर्शाते हैं।

प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1909 में सोने की पन्नी पर अपने प्रसिद्ध प्रयोग पर की थी।

न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय वर्ष 1932 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जेम्स चैडविक को दिया जाता है।

इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया।

न्यूट्रॉन उप-परमाणु कण हैं जो परमाणु नाभिक के प्राथमिक घटकों में से एक हैं। इन्हें आमतौर पर n या n_0 प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन के साथ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं जुड़ा होता है। हालाँकि, उनके पास एक द्रव्यमान होता है जो प्रोटॉन की तुलना में परिमाण में थोड़ा अधिक होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है क्योंकि वे परमाणुओं के नाभिक के अंदर समान तरीके से व्यवहार करते हैं।

117. (3)

हिपेटाइटिस B व C तथा HIV – एड्स का संक्रमण, संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य तथा शरीर के अन्य द्रव से होता है।

चिकनगुनिया वायरस से होने वाली एक बीमारी है। जिसमें वायरस संक्रमण के चार दिनों बाद अचानक बुखार आता है। जो सामान्यतः 2 से 7 दिनों तक रहता है इसके अतिरिक्त जोड़ों का दर्द होता है।

118. (2)

पूरे विश्व के सामने नैनो प्रौद्योगिकी की अवधारणा सर्वप्रथम रखने का श्रेय 1959 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फीनमैन को जाता है। फीनमैन का मानना था कि यदि स्वतन्त्र परमाणुओं को इच्छानुसार प्रयोग में लाना सम्भव हो जाए तो विनिर्माण के क्षेत्र में क्रान्ति आ सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1974 में टोक्यो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची ने अपने एक शोधपत्र में किया था। ड्रेक्सलर ने अपनी पुस्तक में पहली बार 'नैनोटेक' शब्द का प्रयोग किया। नैनो प्रौद्योगिकी इन्जीनियरिंग से जुड़े सैद्धांतिकी, वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों से जुड़ा संकाय है जिसमें गणना एक मीटर के अरबवें हिस्से यानी नैनो मीटर (10^{-9} m) में की जाती है।

नैनो टॉवल/पेपर का निर्माण पोटैशियम मैंगनीज ऑक्साइड के नैनो धागों द्वारा किया गया है।

नैनो टॉवल/पेपर तेल रिसाव की स्थिति में अपने वजन का 20 गुना तेल अवशोषित कर सकता है।

119. (2)

पानी में रखी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट पश्चात् सूर्य का दिखाई देना आदि प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं।

पानी में हवा के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। चंद्रमा से आकाश का काला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है।

आकाश में इन्द्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण परिघटना का उदाहरण है।

120. (2)

सिकिल सेल एनिमिया – यह एक उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है।

इसमें हीमोग्लोबिन की β शृंखला पर छठे Position पर ग्लूटामिक अमीनो अम्ल की जगह उत्परिवर्तन के कारण वेलिन अम्ल आ जाता है।

इसमें लाल रक्त कणिकाएँ (RBC) असामान्य एवं हॉसियाकार हो जाती हैं।

इसमें पीड़ित रोगी प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम से होने वाले मलेरिया से आंशिक रूप से सुरक्षित रहते हैं।

121. (2)

यौगिक - दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो प्रदार्थ बनाते हैं, उसे यौगिक कहते हैं।

उदाहरण - H₂O, नमक, चीनी इत्यादि।

इसके अवयवी घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है।

गैलियम (Ga) और सीजियम (Cs) कमरे के ताप से अधिक ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। केवल 2 तत्व पारा (Hg) व ब्रोमीन (Br) कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं।

दूध एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि यह एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। रक्त भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है।

समुद्री जल समांगी व विषमांगी दोनों प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि इसमें नमक घुलनशील होता है। तथा इसमें अघुलनशील बालू के माइक्रोबस CO_3 के बने शैल होती है अतः यह विषमांगी मिश्रण भी है।

122. (3)

प्राथमिक प्रदूषण – SO_2 , CO , NO_2 , मर्करी PM कण, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC), DDT, प्लास्टिक आदि।

द्वितीयक प्रदूषण– ओजोन

– पर-ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट (PAN)

– अम्लीय वर्षा

– स्मॉग

123. (4)

प्रोग्राम का ऐसा समुच्चय जो कम्प्यूटर के लिए अनिवार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) कहलाता है। यह कम्प्यूटर को सक्रिय करता है।

यह कम्प्यूटर के समस्त उपकरणों का प्रबंधन व नियंत्रण करता है।

जैसे- विंडोज, लिन्क्स, मैकओएस, उबंटू आदि।

124. (2)

लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशदलेपन, क्रोमियम लेपन, ऐनोडीकरण या मिश्रधातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है।

लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यशद-लेपन (गैल्वेनाइजेशन) कहलाता है और ज़िंक की परत पर चढ़े लोहे को गैलवनीकृत लोहा कहते हैं। इस प्रकार के लोहे पर जंग नहीं लगता है।

125. (3)

सूची -I (संस्थान)	सूची-II (मुख्यालय)
राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला	तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश)
भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	तिरुवनंतपुरम (केरल)
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन	बेंगलुरु (कर्नाटक)
सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला	मोहाली (पंजाब)
सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र	श्री हरिकोटा (आन्ध्रप्रदेश)
इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स	महेन्द्रगिरी (कन्याकुमारी)
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र	अहमदाबाद (गुजरात)

126. (1)

फ्रेक्टोज एक मोनोसैकेराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा होती है।

मोनोसैकेराइड-

यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई है। ये वह एकल रासायनिक इकाई है जिसके संयोजक से जटिल कार्बोहाइड्रेट बनते हैं।

मोनोसैकेराइड में तीन प्रकार की शर्करा पाई जाती है-

- ग्लूकोज- समस्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के पाचन के पश्चात् ग्लूकोज के रूप में ही शरीर में शोषित होती है। ये सबसे सरल शर्करा है।
- फ्रक्टोज- यह ठोस, रवेदार, स्वाद में मीठा और पानी में घुलनशील है। यह फलों के रस में पाया जाता है। यह प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है।

(iii) ग्लैक्टोज- यह शरीर में पाचन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है।

127. (3)

प्रोड्यूसर गैस- यह गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन का मिश्रण है।

- रक्त तप्त कोयले पर वायु की नियंत्रित धारा प्रवाहित करने पर यह उत्पन्न होती है।

- यह सस्ते ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। जलने पर यह उच्च तापमान उत्पन्न करती है, इस कारण इसका उपयोग काँच बनाने व धातु निष्कर्षण में होता है।

128. (3)

- स्थिर कार को अचानक चला देने पर उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर धक्का अनुभव होना, यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित उदाहरण है।

बाकि उक्त तीनों उदाहरण गति के तीसरे नियम से संबंधित है।

- न्यूटन की गति का तीसरा नियम (क्रिया -प्रतिक्रिया का नियम)- प्रत्येक क्रिया के लिए समान परन्तु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यहां पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है।

- न्यूटन का यह नियम सर्वव्यापक है। वस्तुएँ विराम की अवस्था में हो या गतिशील वे परस्पर सम्पर्क में हो या उनके बीच कुछ दूरी मौजूद हो यह नियम हर दिशा में लागू होता है।

129. (4)

अम्ल ,प्राकृतिक स्रोत ,औद्योगिक निर्माण की विधि ,उपयोग

1. साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में, कच्ची शर्करा के किण्वन से ,धातुओं को साफ करने, खाद्य पदार्थों, दवाओं के बनाने में व कपड़ा उद्योगों में।

2. एसीटिक अम्ल, फलों के रसों में व सुगन्धित तेलों में, ऐसीटिलीन से सिरका (Vinegar) एसीटोन व खट्टे खाद्य से पदार्थ बनाने में।

3. सल्फ्यूरिक अम्ल, हराकसीस, सीसाकक्ष व सम्पर्क विधि, पेट्रोलियम के शोधन में, रंग व औषधियाँ बनाने में, संचायक बैटरियों में।
4. नाइट्रिक अम्ल, फिटकरी व शोरा, साल्टपीटर व वर्क लैड अर्क प्रक्रम द्वारा, औषधियाँ, सोना एवं चाँदी के शुद्धीकरण, फोटोग्राफी व विस्फोटक पदार्थ बनाने में।
5. ऑक्जेलिक अम्ल, सारेल का वृक्ष, सोडियम फार्मेट से, फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई-रंगाई में, चमड़े के विरंजक के रूप में
6. बेन्जोइक अम्ल, घास पत्ते व मूत्र, बेन्जाइल क्लोराइड से, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में।
7. फार्मिक अम्ल, चींटियों से, फार्म एल्डिहाइड से, फार्मेलिन रूप में मृत जीवों के संरक्षण में
8. टार्टरिक अम्ल, इमली, अंगूर में, -----, खट्टे खाद्य पदार्थ निर्माण में,
9. लेक्टिक अम्ल, दही में, -----, खाद्य पदार्थ के रूप में
10. मैलिक अम्ल, सेब में, -----, खाद्य पदार्थ के रूप में

130. (1)

हाथी पांव/फीलपांव-

- हाथी पांव या फीलपांव एक संक्रामक बीमारी है।
- यह कृमिजन्य रोगों की श्रेणी से संबंध रखता है
- इसे लिम्फैटिक फाइलेरियासिस भी कहते हैं
- यह बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है
- इस बीमारी का कारण फाइलेरिया बैंक्राफटी नाम का परजीवी है।

लक्षण

- इस बीमारी में शरीर में सूजन आ जाती है और त्वचा मोटी हो जाती है। ज्यादातर लोगों के पैरों में सूजन होती है, लेकिन यह हाथ, स्तन और जननांगों में भी हो सकती है।
- यह परजीवी लसिका कोशिकाओं को अवरुद्ध करके द्रव को जमा कर देता है।

131. (1)

55वीं जीएसटी परिषद् की बैठक का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम की अध्यक्षता में किया गया।

जीएसटी परिषद् की 55वीं बैठक की प्रमुख सिफारिशें

जीएसटी परिषद् ने, 1904 के अंतर्गत वर्गीकरण किए हुए, फोर्टिफाइड चावल (एफआरके) पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करने की सिफारिश की

जीएसटी परिषद् ने जीन थेरेपी पर भी जीएसटी पर पूरी तरह छूट देने की सिफारिश की

जीएसटी परिषद् ने मोटर वाहन दुर्घटना कोष के लिए थर्ड पार्टी के मोटर वाहन प्रीमियम से सामान्य बीमा कंपनियों के योगदान पर जीएसटी पर छूट देने की सिफारिश की है

जीएसटी परिषद् ने वाउचर के लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगाने की सिफारिश की, क्योंकि ये न तो वस्तुओं की आपूर्ति हैं और न ही सेवाओं की आपूर्ति। वाउचर से जुड़े प्रावधानों को भी सरल बनाया जा रहा है।

132. (1)

माना दो वर्ष पूर्व कार की कीमत = x रुपये

प्रथम वर्ष हास = 10%

द्वितीय वर्ष हास = 20%

कार की वर्तमान कीमत = $x = \frac{90}{100} \times \frac{80}{100} = 2,16,000$

$$x = \frac{2,16,000 \times 100 \times 100}{90 \times 80}$$

$$x = \frac{2,16,000 \times 100}{72}$$

$$x = 3,00,000$$

133. (2)

मूल धन राशि = 3740 रुपये

A+B+C से कम की गई राशि = 70 रुपये

वर्तमान धनराशि = 3740-70 = 3670 रुपये

अतः 3670 को A:B:C में क्रमशः 2:3:5 में विभाजित किया जाएगा

$$\begin{aligned} \text{B को प्राप्त धनराशि} &= \frac{3740}{10} \times 3 \\ &= 1101 \text{ रुपये} \end{aligned}$$

अतः B की धनराशि 1101 रुपये + 21 रुपये = 1122 रुपये होगी।

134. (3)

5 वर्षों का साधारण ब्याज = 2250 रुपये

1 वर्ष का साधारण ब्याज = $\frac{2250}{5} = 450$ रुपये

2 वर्ष का साधारण ब्याज = $450 \times 2 = 900$ रुपये

2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज = 954 रुपये

साधारण ब्याज - चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर = 54 रुपये

$$\begin{aligned} \text{दर (R)} &= \frac{54}{450} \times 100 \\ &= 12\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{मूलधन (P)} &= \frac{450 \times 100}{1 \times 12} \\ &= 3750 \text{ रुपये} \end{aligned}$$

135. (3)

माना कुल लाभ = x रु.

$$\text{A का लाभ} = \frac{x}{3} \text{ रु.}$$

$$\text{B का लाभ} = \frac{x}{4} \text{ रु.}$$

C का लाभ रु. = 5000 रु.

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} + 5000 = x$$

$$4x + 3x + 60,000 = 12x$$

$$5x = 60,000$$

$$x = 12000 \text{ ₹.}$$

$$\text{कुल लाभ} = 12,000 \text{ ₹.}$$

$$\begin{aligned} \text{A का लाभ} &= \frac{x}{3} \times 12,000 \\ &= 4000 \text{ ₹.} \end{aligned}$$

136. (3)

$$2 \text{ लड़कियों को एक साथ बिठाने का तरीका} = {}^2P_2 = 2$$

यहां दोनों लड़कियां एक साथ रहेगी इसलिए इन्हें एक मान लेते हैं अतः कुल बिठाने के तरीके निम्न होंगे।

$$= 6 \times 2$$

$$= 6.5.4.3.2.2$$

$$= 1440$$

137. (4)

$$\text{कुल छात्रों की संख्या} = 500$$

सभी विषय व लोकप्रशासन में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत अंतर

$$= 68-32\%$$


$$= 36\%$$

$$500 \times \frac{36}{100} = 180$$

138. (2)

$$\begin{aligned}
 3 \text{ माध्यिका} &= 1 \text{ बहुलक} + 2 \text{ माध्य} \\
 &= 1 \times 80 + 2 \times 20 \\
 &= 80 + 40 \\
 &= 120 \\
 \text{माध्यिका} &= \frac{120}{3} \\
 &= 40
 \end{aligned}$$

139. (2)



इस प्रकार रमेश चित्र में अपने पुत्र की ओर इशारा कर रहा है।

140. (4)


चूंकि FOOD की सांकेतिक भाषा GQRH लिखा जाता है।

F	O	O	D
+	+	+	+
1	2	3	4
G	Q	R	H
तो			
E	T	I	E R

+ + + + +
 1 2 3 4 5
 F V L I W


अतः ETIER को FVLIW लिखा जायेगा।

141. (2)




अतः रमेश के शुरुआत बिंदू से अंतिम बिंदू की दिशा दक्षिण-पूर्व होगी।

142. (2)




143. (3)



वेन आरेख से स्पष्ट होता है कि अप्रशिक्षित विवाहित नर्स संख्या 8 से प्रदर्शित हो रही है।

144. (1)



दी गई आकृति में वर्ग = ABCD+ALMR+LBRS+MRCT, RSTD, NOPQ, HIJK = 7

दी गई आकृति में त्रिभुज = EFG, EJK, EKL, ELK, AJM, KBS, EMR, ERS, EMS, MFC,

DGS, EFT, ETG, NOR, ROP, NQR, QRP, QNO, QOP, NOP, NPQ = 21


145.(1)

अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे 11 अक्षर हैं जो दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं वो अक्षर हैं-

A, H, I, M, O, Q, T, U, V, W, X

अतः दिए प्रश्न में केवल 6 अक्षर इसमें शामिल हैं।

146. (3)



$$2\pi r = 44$$

$$r = \frac{44 \times 7}{2 \times 22}$$

$$r = 7$$

$$\text{क्षेत्रफल} = \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 7 \times 7$$

$$= 154 \text{ वर्ग सेमी.}$$

147. (3)

दोनों मान्यताएँ सही हैं।

- मान्यता 1 सही है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का सुझाव यह दर्शाता है कि इसे सुधारने से ट्रैफिक कम होगा।

- मान्यता 2 सही है क्योंकि सुझाव का आधार यही है कि लोग निजी वाहनों का अधिक उपयोग कर रहे हैं।

148. (3)

दोनों कार्यवाहियाँ लागू की जानी चाहिए।

- कार्यवाही 1 सही है क्योंकि नए उद्योगों पर रोक लगाना प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक प्रारंभिक कदम हो सकता है।

- कार्यवाही 2 भी सही है क्योंकि स्थापित उद्योगों को नियमों का पालन करने से प्रदूषण कम होगा।

149. (1)

आदेश का पालन करेंगे और सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

- किसी भी कंपनी के आदेश का पालन करना अनुशासन और कार्य संस्कृति का हिस्सा है।

- कंपनी की बैठकें महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित हो सकती हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है।

150. (1)

- प्रोत्साहन योजनाएँ (कार्यवाही 1) कर्मचारियों को प्रेरित कर सकती हैं।
- नियमित कार्यशालाएँ (कार्यवाही 3) उनकी दक्षता को बढ़ा सकती हैं।
- कार्य समय बढ़ाना (कार्यवाही 2) और कठोर दंड प्रणाली (कार्यवाही 4) नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

